



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, कानपुर

ई-निविदा

किदवई नगर स्टाफ क्वार्टर (केएनएसक्यू), भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में श्रेणी III
के 08 फ्लैटों (च-ब्लॉक) के लिए विद्युत नवीनीकरण कार्यों के लिए ई-निविदा

निविदाकार _____ का नाम

पता _____

बोली पूर्व बैठक (ऑफलाइन) की तिथि : 22 दिसंबर 2025, 11:00 बजे

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 02 जनवरी 2026, अपराह्न 03:00 बजे तक

निविदा के भाग I के खुलने की अंतिम तिथि: 02 जनवरी 2026, अपराह्न 03:00 बजे

स्थान:

भारतीय रिज़र्व बैंक,
दूसरी मंजिल, संपदा विभाग
द मॉल, कानपुर -208001

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक की संपत्ति है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित, अभिलेखबद्ध या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि किसी भी उद्देश्य के लिए अधिकृत कर्मियों/एजेंसीज द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर सख्त वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार भारतीय कानून के अनुसार यह कानूनी रूप से निषिद्ध होगा।

निविदा अनुसूची

| | | |
|-------|---|---|
| i. | ई-निविदा संख्या | RBI/Kanpur Regional Office/Estate/12/25-26/ET/716 |
| ii. | निविदा का तरीका | ई-प्रापण प्रणाली (ई-प्रोक्योरमेंट) (ऑनलाइन भाग I-पूर्व योग्यता मानदंड और तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - www.mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से मूल्य बोली) |
| iii. | निविदा मूल्य | अनुमानित लागत- 11,00,000/- रुपये |
| iv. | एनआईटी की तिथि जो पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है | दिनांक 17 दिसंबर, 2025 के अपराह्न से |
| v. | प्री बिड मीटिंग | 22 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के सम्पदा विभाग में। |
| vi. | www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि | दिनांक 23 दिसंबर 2025 के अपराह्न 03:00 बजे से |
| vii. | तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि | 02 जनवरी 2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक |
| viii. | निविदा भाग I के खुलने की तिथि और समय निविदा भाग II के खुलने की तिथि और समय | 02 जनवरी 2026 को अपराह्न 03:00 बजे 02 जनवरी 2026 को अपराह्न 03:15 बजे |
| ix. | लेनदेन शुल्क | एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। |

ई-प्रापण (ई-प्रोक्योरमेंट) के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले इस टेंडर के नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।

1) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल > वेंडर के रूप में पंजीकरण - विवरण भरना और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना → के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है।

2) विक्रेताओं को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, विक्रेता आरबीआई/एमएसटीसी (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क विवरण (आरबीआई): estatekanpur@rbi.org.in; 0512-2303830,31,33-1902

एमएसटीसी हेल्पलाइन नंबर (आईवीआर) -07969066600

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

1. श्री विजयंत नारायण सिंह, एक्जिक्यूटिव, 09909080178
2. श्री नितिन आनंद, प्रबंधक, 0522-4240445

बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii) IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।
- iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर

- iv) नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।

हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में डीएससी दिखने के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करें जिसके लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

- उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > अक्षम करें संरक्षित मोड यदि सक्षम है- यानी, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

अन्य सेटिंग्स:

- उपकरण = > इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें = के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें = > "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" सक्रिय करें।

सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स→इंटरनेट विकल्प→कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ से आईई सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार चलाएं)

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट तिथि और समय पर खोली जाएंगी जैसा कि निविदा में दिया गया है।

निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। **लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।** एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच प्राप्त नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देने के लिए कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से भेज दें।

अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

ई-निविदा में बोली:

- a) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- b) जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → मेरा मेनू → ऑक्शन फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट लाइव इवेंट → www.mscecommerce.com एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।
- c) विक्रेता जावा अनुप्रयोग चल रहा होना चाहिए। यह प्रक्रिया बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद, उन्हें तकनीकी बोली पर क्लिक करना चाहिए। यदि यह जावा एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
- e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेताओं को इसे रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार जब वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और विवरण भर जाता है, तो विक्रेताओं को वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों को सहेजने के बाद, विक्रेता को बोलियां पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक करना होगा
- f) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

- g) सभी मामलों में, विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- h) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- i) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।
- k) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- l) क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।

निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है। इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com/eprocn पेज में वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे पोर्टल में निर्दिष्ट प्रत्येक वस्तु के लिए जीएसटी सहित दर उद्धृत करें। उद्धृत दरों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एमएसटीसी पोर्टल दिनांक 23 दिसंबर 2025 से दिनांक 02 जनवरी 2026 तक दस्तावेज और दरों को अपलोड करने के लिए उपलब्ध होगा।

सूची

| क्रम | विवरण | पृष्ठ सं |
|------|--|----------|
| 1. | खंड-I ई-निविदा का फॉर्म | 8 |
| 2. | खंड-II करार की शर्तें | 11 |
| 3. | खंड- III अनुबंध की वाणिज्यिक और सामान्य शर्तें | 19 |
| 4. | खंड-IV सुरक्षा कोड, अग्नि सुरक्षा | 35 |
| 5. | खंड-V पूर्व की संदर्भित स्थिति | 37 |
| 6. | खंड-VI सूची की जाँच करें | 57 |
| 7. | खंड-VII तकनीकी निर्देश | 58 |
| 8. | धारा VIII मात्रा का मूल्यरहित बिल | 62 |
| 9. | अनुलग्नक ए- सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा | 69 |
| 10. | अनुलग्नक बी - आवेदन/प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप | 72 |

खंड -I

निविदा प्रपत्र

स्थान _____

तारीख _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग,
कानपुर-208001

महोदया/प्रिय महोदय

ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, रेखाचित्रों या डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद, इसके बाद निर्धारित किया गया है, और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच की गई है और अंत में निविदा के अनुपालन हेतु तथा उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद; हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों, ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, मूल्य-बोली में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और निर्देशों के साथ लिखित रूप में निविदा की शर्तों में संदर्भित किया गया है, 'करार, विशेष शर्तें, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध की शर्तें और ऐसी सामग्री के साथ जो हमारे द्वारा प्रदान की जाती हैं, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, को प्रतिपादित करने और निष्पादन करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

| | | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| (क) | कार्यों का विवरण | : | किदवई नगर स्टाफ क्वार्टर (केएनएसक्यू), कानपुर में 08 श्रेणी III फ्लैटों (च ब्लॉक) के लिए विद्युत नवीनीकरण कार्यों के लिए ई-निविदा |
| (ख) | सिस्टम की अनुमानित लागत | : | 11,00,000/- रुपये |
| (ग) | प्रदर्शन बैंक गारंटी | : | अनुबंध मूल्य का 5% अनुबंध की वैधता की पूरी अवधि से लेकर कार्य के वर्चुअल समापन तक वैध |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| (घ) | बिलों से काटे जाने वाले प्रतिशत | : | दोष देयता अवधि के 1 वर्ष के बाद प्रतिधारण राशि के रूप में 5% वापस किया जाएगा। |
| (ङ) | कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय | : | कार्य सौंपने के लिए पत्र की तारीख से 14 वें दिन से 60 दिन |
| (च) | परिसमापन हर्जाना | : | प्रति सप्ताह अनुबंध राशि (निविदा लागत) का 0.25%, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन है। |

- हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी ई-निविदा ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।
- यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके डिफॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनियों या नामांकित व्यक्तियों द्वारा ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ ई-टेंडर में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।
- मैं/हम समझते हैं कि इसके लिए बिना कोई कारण बताए आप किसी भी या सभी ई-टेंडर को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- यदि हम सफल निविदाकर्ता बन जाते हैं, तो हम भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में एनईएफटी के माध्यम से जापन में उल्लिखित रुपये की राशि जमा करेंगे, जिस राशि पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, या वाणिज्यिक बोली खोलने के बाद बोली वापस ले लेते हैं, तो हम एतद्वारा सहमत होते हैं कि यह राशि हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त कर ली जाएगी।
- ई-टेंडर एमएसटीसी पोर्टल पर अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में दो भागों में जमा किया जाता है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

दिनांक _____ 2025

मैसर्स _____ के लिए और उसकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पद _____

स्थान _____

तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाह

नाम, पता और तारीख

के साथ हस्ताक्षर

(2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

Section II

करार (सफल निविदाकार से)

ARTICLES OF AGREEMENT (for successful bidder)

(On the Rs.100/- stamp paper)

यह करार भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा)
और _____ (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा)
के मध्य दिनांक _____ को निष्पादित किया गया।

ARTICLES OF AGREEMENT made the _____ day of _____
between the Reserve Bank of India, Kanpur (hereafter called "The Bank") of the one
part and _____ (thereinafter
called "the Contractor") of the other part.

जहां बैंक यह कार्य _____) कराने का
इच्छुक है (किए गए विशिष्ट कार्य का वर्णन करें)

WHEREAS The Bank is desirous of
(_____)
(_____) and has caused specifications describing the works
to be done.

और उक्त विशिष्टताओं के अनुसार, मात्रा और रेखाचित्रों की अनुसूची पर या पार्टियों की ओर से
हस्ताक्षर किए गए हैं।

AND WHEREAS the said specifications, the Schedule of Quantities and drawings
have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और ठेकेदार ने इसके आगे उल्लिखित शर्तों तथा परिणाम की अनुसूची तथा ठेके की शर्तें (जिन्हे) इसके
आगे समग्र रूप से "उक्त शर्तें" कहा गया है) के अधीन उक्त आरेखों में दर्शाये गए और/या उक्त
विनिर्देशों में वर्णित तथा परिणाम की अनुसूची में सम्मिलित निर्माण कार्य को उनमें निर्दिष्ट दरों
के अनुसार हिसाब लगाई गयी कुल राशि पर या ऐसी अन्य राशि पर , जो उनके अधीन देय हो (जिसे
इसके आगे "उक्त ठेके की राशि" कहा गया है) निष्पादित करना स्वीकार किया है।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject to the
Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special Conditions
and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which are
collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the
said drawings and/or described in the said specification and included in the Schedule

of Quantities at the respective rates therein set forth amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable thereunder (hereinafter referred to as 'the said Contract Amount')

अब इस बात पर निम्न तरह से सहमति है:

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

- 1 उक्त शर्तों में निर्दिष्ट अवधियों में और प्रणाली से देय ठेके की राशि के बदले ठेकेदार उक्त शर्तों पर तथा उनके अधीन और उक्त आरेखनों में दर्शित तथा उक्त विनिर्देशों एवं परिमाणों की अनुसूची में उल्लिखित निर्माण कार्य निष्पादित करेगा और पूरा करेगा

In consideration of said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work shown upon the said Drawings and described in the said Drawings and described in the said Specifications and the Schedule of Quantities.

- 2 बैंक ठेकेदार को उक्त शर्तों में निर्दिष्ट अवधियों में तथा उनमें निर्दिष्ट प्रणाली से उक्त ठेके की राशि या ऐसी कोई अन्य राशि, जो देय हो जाए, अदा करेगा।

The Bank shall pay the Contractor the said Contract Amount, or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said conditions.

- 3 उक्त शर्तों को और उनके परिशिष्ट को इस करार के भाग के साथ पढ़ा जाएगा तथा इस करार से संबन्धित पक्ष उक्त शर्तों का क्रपशः पालन करेंगे, अपने-आपको उनके अधीन मानेंगे तथा उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन अपनी और से करार का निष्पादन करेंगे।

The said Conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

- 4 इसमें उल्लिखित नक्शे, करार और प्रलेख इस संविदा के आधार माने जायेंगे।

The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this Contract.

- 5 यह संविदा न तो निर्धारित एकमुश्त राशि की संविदा है और न ही फूटकर कार्य की संविदा, परंतु यह सम्पूर्ण "

_____ "

के संबंध में कार्य को पूरा करने की संविदा है जिसके लिए दरों की अनुसूची तथा संभाव्य परिमाणों में उल्लिखित दरों पर या उक्त शर्तों में निर्दिष्ट दरों पर वस्तुतः हिसाब लगायी गयी मात्राओं के अनुसार अदायगी की जाएगी। कार्य आदेश संख्या _____ इस समझौते का हिस्सा होगा।

This Contract is neither a fixed/ Lump sum Contract nor a Piece work Contract but is a Contract to carry out the “_____(Name of work)_____” to be paid for according to actual measured quantities at the rates contained in the Schedule of Rates and Probable quantities or as provided in the said Conditions. Work order No. _____ shall form part of this agreement.

- 6 अनुबंध में दिये अनुसार ठेकेदार को सिविल संबंधी सभी कार्यों हेतु वाजिब सुविधा वहन करनी होगी एवं ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुये नुकसान को ठीक करना होगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for the carrying out of all works relating to civil works and other ancillary works in the manner laid down in the said Conditions, and shall make good any damages done to walls, floors etc. after the completion of such works.

- 7 बैंक इस अनुबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के किए जानेवाले कार्य में किसी भी मद को जोड़ने या हटाने एवं ड्रॉइंग और कार्य की प्रकृति को बदलने का अधिकार रखता है।

The Bank reserves to itself the right of altering the Drawings and nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this contract.

- 8 समय को इस अनुबंध के महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाएगा, और ठेकेदार साइट को सौंपने के तुरंत बाद या औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के बाद जो भी बाद में हो दी गई शर्तों एवं समय विस्तार के प्रावधानों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करेगा तथापि समय विस्तार के प्रावधान ऐसे लिखित तरीके (अर्थात् विलेख या करार या पत्रों/ ई-मेल के आदान-प्रदान) के अधीन होंगे जिन पर दोनों पक्षों परस्पर सहमत हों।

Time shall be considered as one of the important factor of this Contract, and the Contractor hereby agrees to commence the work soon after the site is handed over to him or from 14th day after the day of issue of formal works order as

provided for in the said Conditions, whichever is later, and to complete the entire work as provided in said condition , subject nevertheless to the provisions for extension of time in writing by such form(i.e by way of a deed of agreement or by exchange of letters/emails)as may be mutually decided by the parties..

- 9 इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल कानपुर में किए जाएंगे।
All payments by The Bank under this Contract will be made only at Kanpur.
- 10 इस समझौते से जुड़े या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कानपुर में उत्पन्न माना जाएगा और इनका निपटान केवल कानपुर में न्यायालयों के ही अधिकार क्षेत्र में होगा।
All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Kanpur and only Courts in Kanpur shall have jurisdiction to determine the same.
- 11 इस संविदा के विभिन्न अंशों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है तथा उन्हें पूर्ण रूप से समझ लिया है।
That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.
- 12 **गैर-प्रकटीकरण खंड** : ठेकेदार बैंक ,के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का किसी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान के पास आ सकता है, और हर समय इस पर विश्वास रखेगा। ठेकेदार सिवाय इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा के अलावा अनुबंध के विवरण को वैयक्त और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण का खुलासा, प्रकाशित होने की अनुमति नहीं देगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचारों को आगे बढ़ाने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के मध्य सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय सूचनाओं का प्रकटीकरण न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हों ।

गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या इस समझौते के टरमिनेशन के बाद भी बने रहेंगे।

Non-Disclosure clause: The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive even after the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

13

लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी उपबंध/ Prevention of Sexual harassment clause

ठेकेदार/एजेंसी कार्य स्थल) रोकथाम, निषेध और निवारण (अधिनियम 2013 में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी गंभीर कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे घटना में कर्मचारी शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। ठेकेदार अपने कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन

उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दे के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

he contractor/Agency shall be solely responsible for full compliance with the provision of “the sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013”. In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of Bank, complaint will be filed before the Internal complaint committee constituted by the Contractor/Agency and the Contractor/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint. Any complaint of sexual harassment from any aggravated employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank. The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved. The contractor shall be responsible for educating its employee about prevention of sexual harassment at work place and related issue.

14. **अप्रत्याशित घटना:** यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से परे किसी घटना के घटित होने के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थ है (जैसे कि ईश्वर के कार्य, युद्ध जैसी स्थितियाँ, दंगे, श्रमिक हड़ताल, सरकारी कार्य, भूकंप, चक्रवात, आंधी , और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ, आदि), उस पक्ष को इस अनुबंध के अंतर्गत चूककर्ता नहीं माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष जारी रखने के लिए इस समझौते के तहत प्रदर्शन को सक्षम करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि अप्रत्याशित घटना के कारण गैर-प्रदर्शन की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो जिस पार्टी की प्रदर्शन करने की क्षमता इतनी प्रभावित नहीं हुई है, वह लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकती है।

Force Majeure: If either party is unable to perform its obligations under this Agreement due to the occurrence of an event beyond its control (such as acts of God, war like situations, riots, labour strike, government actions, earthquakes, cyclones, typhoons, and other natural calamities, etc.), that party will not be deemed to have defaulted under this Agreement. Each party agrees to use all reasonable efforts to enable performance under this Agreement to continue. If the period of non-performance due to a force majeure event exceeds 30 days, the party whose ability to perform has not been so affected may, by giving written notice, terminate this Agreement

यदि इसके साक्ष्य में बैंक तथा ठेकेदार ने इन दस्तावेज़ों तथा मूल प्रति पर इसके ऊपर
ठेकेदार उल्लेखित दिन और वर्ष में हस्ताक्षर किए हैं।

एक भागीदारी या एक व्यक्ति है

IN WITNESS WHEREOF The Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.

If the contract or is a Partners hip or an Individua l

यदि ठेकेदार एक कंपनी है

इसके साक्ष्य में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत किये हैं और ठेकेदार ने इन पर तथा उक्त दोनों प्रतिलिपियों पर अपनी नियमित मोहर लगवाई है/इसके पहले उक्त दिनांक और वर्ष को अपनी ओर से इन दस्तावेजों तथा उक्त दो प्रतिलिपियों का निष्पादन करवाया है।

If the contract or is a Compan y

IN WITNESS WHEREOF The Bank has set its hand to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicate/has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

श्री

(नाम और पदनाम)

.....

..... की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

.....
.....
.....

गवाहगण

.....
द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

यदि भाग एक साझेदारी फर्म है या किसी भी व्यक्ति पर सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(1)

पता.....

.....

2)

.....

पता

.....

गवाहगण

सामान्य मुहर

इसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में यहां लगाया गया था

यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड को एसोसिएशन विलेखों में उनके सीलिंग खंड के साथ मिलान करना चाहिए।

.....
.....
.....
.....

की उपस्थिति में

(1)

..... ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी के हाथ से हस्ताक्षर कर रहा है

(2)

..... चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति।

निदेशकों जिन्होंने निम्नलिखित की उपस्थिति
इन दस्तावेजों हस्ताक्षर किए हैं,

ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी के हाथ से हस्ताक्षर कर रहा है
चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति।

(1)

.....

(2)

.....

ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित
किया गया

श्री

और विधिवत गठित एटोर्नी

खंड III

संविदा की वाणिज्यिक और सामान्य शर्तें

1. ई ट्रेड 14 (कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल नवीनीकरण कार्य) के अंतर्गत पैनल 4 (10-20 एल) और पैनल 5 (20-50 एल) में बैंक के सूचीबद्ध ठेकेदारों से ई-निविदाएँ दो भागों में आमंत्रित की जाती हैं: भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली)।

3.1.1 17 दिसंबर 2025 की अपराह्न 03 बजे से सभी फर्मों को ऑनलाइन निविदाएं देखने/डाउनलोड करने की अनुमति दी जाएगी।

3.1.2 पात्रता मानदंड

ट्रेड 14 के तहत पैनल 4 (10-20 एल) और पैनल 5 (20-50 एल) में बैंक के पैनल में शामिल ठेकेदार।

3.1.3 ई-निविदा जमा करना:

ई-टेंडर दो भागों में तैयार करके ऑनलाइन जमा किया जाएगा, अर्थात् भाग I और भाग II, प्रत्येक भाग के कवर पर स्पष्ट रूप से "भाग I – तकनीकी एवं वाणिज्यिक" और "भाग II – मूल्य" अंकित होना चाहिए और इसे MSTC पोर्टल पर जमा करना होगा। टेलीग्राम, फैंक्स और ईमेल द्वारा भेजे गए ई-टेंडर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ई-टेंडर में कोई भी संशोधन, परिशिष्ट, जोड़ या परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि ई-टेंडरकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा इसकी पुष्टि न की जाए। ई-टेंडर की सभी प्रतियां निविदा में उल्लिखित सभी संलग्नकों/अनुलग्नकों सहित पूर्ण होनी चाहिए।

निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे एमएसटीसी वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) पर ई-टेंडर जमा करें। यदि आवेदक अतिरिक्त जानकारी

प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे इसे एमएसटीसी वेबसाइट पर अपने स्वयं के लेटर हेड/पेपर पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और जमा किए जाएंगे।

3.1.4 ई-निविदा दस्तावेज़ में संशोधन

- a) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, एक संशोधन द्वारा ई-निविदा को संशोधित कर सकता है और इसे संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए www.mstcecommerce.com/eprocn/ शुद्धिपत्र के रूप में संबंधित को अपलोड किया जाएगा।
- b) ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ा सकता है।

3.2 बोली-पूर्व बैठक: निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करने के लिए 22 दिसंबर 2025 को 11:00 बजे सम्पदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में एक पूर्व-निविदा ब्रीफिंग बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे उक्त तिथि व समय पर उपस्थित रहें और निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करें। वे किसी भी बिंदु/शर्तों/विनिर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकर्ताओं को उचित सलाह दी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर देंगे और इसलिए उन्हें अपनी तकनीकी (भाग I) और मूल्य बोलियों (भाग II) में बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों से विचलित होने से बचना चाहिए।

3.3 ई-निविदा 02 जनवरी 2026. को दोपहर 3:00 बजे तक जमा / अपलोड किया जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में 02 जनवरी 2026 को दोपहर 3:00 बजे के बाद कोई निविदा प्राप्त/स्वीकार नहीं की जाएगी।

3.4 बैंक से उसकी ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को **चौदह दिनों के भीतर** लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता करार मसौदा और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का बनाएगी, चाहे इस तरह के औपचारिक करार को बाद में क्यों न निष्पादित किया गया हो।

3.5 भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक

3.5.1 भाग I में बिना मूल्य वाला ई-टेंडर होगा जिसमें निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र, दस्तावेज, वाणिज्यिक नियम और शर्तें, निविदा के तकनीकी पहलू जैसे उपकरण डेटा शीट, परीक्षण और निरीक्षण, सामग्री के प्रकार, तकनीकी विवरण, चित्र आदि (यदि लागू हो) शामिल होंगे।

3.5.2 निविदा के भाग I पर मुहर सहित हस्ताक्षर करने के बाद, ई-निविदा के भाग I दस्तावेजों को एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

3.5.3 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित कार्यस्थल पर जाएं और निविदा से पहले साइट की परिस्थितियों से स्वयं को परिचित कराएं।

निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों में निहित अनुबंध की सामान्य शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ई-निविदा जमा करें, न कि किसी भी विचलन को निर्धारित करें। यदि ई-निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति का कोई मूल्य निहितार्थ है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और

उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। नियम और शर्तों से विचलन वाली कोई भी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

सभी सूचनाएं, पत्राचार पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर को संबोधित किए जाएंगे।

भाग II - मूल्य

भाग II - "मूल्य बोली", ई-निविदा के साथ आपूर्ति की गई।

(a) इस भाग में केवल भारतीय रुपये में मूल्य शामिल होंगे और प्रारूप के अनुसार मूल्य का ब्यौरा दिया जाएगा (बिना मूल्य वाले बीओक्यू) भाग-II में किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है। ई-निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।

यदि कोई दस्तावेज गुम है या अहस्ताक्षरित है, तो बैंक द्वारा अपने विवेक से ई-निविदा को अमान्य माना जा सकता है।

ई-निविदा भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को निविदाकर्ता के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन न करने पर बैंक के विकल्प पर ई-निविदा अमान्य हो जाएगा।

ई-निविदा के भाग II के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

उद्धृत दरों को तैयार कार्य के लिए माना जाएगा और एसी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू होने तक बिना किसी वृद्धि के ये दर दृढ़ और बाध्यकारी होंगे।

उद्धृत दरें निश्चित होंगी और श्रम, परिवहन में विनिमय भिन्नता में अंतर के अधीन नहीं होंगी। दरों को पूरे काम के लिए उद्धृत किया जाएगा, यानी सामग्री, श्रम की आपूर्ति सहित

फ्लैट का पूर्ण नवीनीकरण और इसमें सभी करों, शुल्कों, लेवी, उपभोज्य, श्रम, परिवहन, पारगमन के लिए बीमा, भंडारण के साथ-साथ कामगार मुआवजा और तृतीय पार्टी देयता नीतियां, निर्माण आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। बैंक द्वारा किसी भी शुल्क(लेवी) के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह, बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मात्रा की अनुसूची के अनुसार सख्ती से बोली लगाएं। मात्राओं की अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित है। ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा सख्ती से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि साइट की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर केवल बैंक के विवेक पर इसे हटाया भी जा सकता है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदला भी जा सकता है। इस आधार पर किए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

ई-निविदा का उद्घाटन

ई-निविदाओं का भाग I 02 जनवरी 2026, को 1500 बजे ऑनलाइन खोला जाएगा तथा ई-निविदाओं का भाग II (मूल्य निविदा) 02 जनवरी 2026, को 1515 बजे ऑनलाइन खोला जाएगा।

कार्य का संक्षिप्त दायरा

3.9.1 कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे।

इस कार्य में लेआउट के अनुसार फ्लैटों का विद्युत नवीनीकरण कार्य और निविदा में दिए गए तकनीकी विवरण शामिल हैं।

3.9.3 निविदाकर्ता विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और निविदा में मूल्य उद्धृत करने से पहले खुद को संतुष्ट करेगा कि पेश किए गए उपकरण बैंक के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त हैं।

3.9.4 निविदाकर्ता प्रणाली की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी उपकरणों, प्लांट, मचान, सीढ़ी, श्रम और उपभोग्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति करेगा।

3.10 ई-निविदा की वैधता

कीमतों के साथ ई-निविदा शुरू में ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, इस अवधि के दौरान ई-निविदा को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा।

3.11 सबसे कम ई-निविदा जरूरी नहीं कि स्वीकार किया जाए

3.11.1 बैंक निम्नतम या किसी भी ई-निविदा को स्वीकार करने या गैर-स्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

3.11.2 निविदाकार ई-निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, भले ही बैंक ई-निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

3.12 दोष देयता अवधि के दौरान बयाना धन, सुरक्षा जमा और सुरक्षा

3.12.1 इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है यदि राशि इसकी अनुमति देती है जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के दस दिनों के भीतर ऐसी

राशि नकद में जमा नहीं करता है। इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवज़े या अन्य राशियों, अगर राशि इतनी हो तो, सुरक्षा जमा से काटी जा सकती है, जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी होने के दस दिनों के अंदर ऐसी रकम नकद में जमा न कर दे।

3.12.3: a) सफल निविदाकर्ता (कार्य सौंपने के लिए विचार किया जाता है) किसी भी अनुसूचित बैंक से कार्य प्रदान करने के 14 दिनों के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक से अनुबंध की अवधि के लिए वैध अनुबंध राशि का 5% की राशि के रूप में ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत करेगा। सफल निविदाकर्ता (जिन्हें काम देने के लिए चुना गया है) काम मिलने के 14 दिनों के अंदर किसी भी अनुसूचित बैंक से निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) देंगे, जो अनुबंध राशि का 5% होगी और अनुबंध की अवधि से लेकर काम पूरा होने की तारीख तक मान्य रहेगी, ताकि ठेकेदार द्वारा अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा किया जा सके।

b) पीबीजी जमा करने में किसी भी देरी के मामले में, बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से जुर्माना काट लिया जाएगा।

c) भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर को ठेकेदार द्वारा सेवाओं में किसी भी दोष/जुर्माना/चूक की भरपाई के लिए पीबीजी का आह्वान करने का अधिकार है।

3.12.4 बिल मूल्य के 5% की प्रतिधारण राशि संपर्ककर्ता के प्रत्येक आरए बिल से तब तक काटी जाएगी जब तक कि कुल वसूली सुरक्षा जमा के रूप में अनुबंध मूल्य का 5% नहीं हो जाती है जो दोष देयता अवधि के सफल समापन के बाद वापस कर दी जाएगी। ठेकेदार के हर RA बिल से बिल मूल्य का 5% प्रतिधारण राशि काटी जाएगी, जब तक

कि कुल वसूली अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर न हो जाए, जिसे सुरक्षा जमा के तौर पर रखा जाएगा और दोष देयता अवधि

सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद वापस कर दिया जाएगा।

3.13 भुगतान की शर्तें

इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान वैधानिक कटौती के अधीन निम्नानुसार किया जाएगा। भुगतान के तरीके में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।

पूरे कार्य के पूरा होने और बिल जमा करने के बाद जारी किए गए अनुबंध मूल्य का 95%।

राशि का 5% प्रतिधारण धन/सुरक्षा जमा के रूप में काटा जाएगा जो डीएलपी के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा।

लागू होने पर राज्य के कानून के अनुसार भुगतान से जीएसटी/आईटी/टीडीएस काटा जाएगा।

कर- उद्धृत कीमतों को जीएसटी शामिल माना जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर कर काटा जाएगा और इसके लिए ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

भुगतान

ठेकेदार/ठेकेदार, कार्य शुरू करने से पहले, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करने के लिए अपेक्षित बीमा प्रस्तुत करेगा और अनुबंध की पूरी राशि के लिए नियोक्ता और ठेकेदार (पूर्व के नाम यानी आरबीआई को पॉलिसी में पहले स्थान पर रखकर) के संयुक्त नाम पर, कार्यालय के साथ आग से होने वाले नुकसान या क्षति के लिए पुनर्कार्य के आभासी समापन तक उनका बीमा करेगा। ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर

करेगी। ठेकेदार काम सौंपने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर या साइट पर काम शुरू करने से पहले, जो भी पहले हो, नियोक्ता के पास पॉलिसी और प्रीमियम के लिए रसीदों की प्रति जमा करेगा।

ठेकेदार की चूक में, जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, बीमा करते हुए, नियोक्ता कार्यों का बीमा कर सकता है और किसी भी देय धन, जुर्माना आदि से भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है, या जो इस तरह के चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठेकेदार के कारण हो सकता है।

अगर काम को रोकना ज़रूरी हो जाता है, तो ठेकेदार पॉलिसी के तहत दावा निपटान होने के तुरंत बाद, या अगर बीमा कार्यालय ऐसा करना चाहे तो काम फिर से शुरू होने पर, पूरी लगन से काम को अनुबंध की सभी शर्तों के तहत उसी तरह पूरा करेगा जैसे आग लगी ही न हो। आग लगने के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में ठेकेदार को पूरा करने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होना चाहिए, जैसा कि उचित समझे।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ठेकेदार को वैध बीमा पॉलिसियों को जमा किए बिना साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीमा पॉलिसियां जमा न करने के कारण कार्य में किसी भी देरी पर एलडी की छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार काम शुरू करने से पहले, सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर, उपकरण/सामग्री के निर्माता के काम छोड़ने से लेकर बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर उक्त प्रणाली को बैंक को सौंपने तक सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करेगा और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा। ठेकेदार काम शुरू होने से पहले, अपने खर्च पर सभी तरह के बीमा करवाएगा, ताकि उपकरण/सामग्री के निर्माता की फैक्ट्री से निकलने से लेकर उस सिस्टम को बैंक को सौंपने तक के सभी जोखिमों को कवर किया जा सके। यह बीमा बैंक और ठेकेदार दोनों के नाम पर होगा और इसमें नीचे बताए गए जोखिम शामिल होंगे।

ठेकेदार की सभी जोखिम नीति।

साइट पर काम करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।

कुल 1000 करोड़ रुपए की थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी। 10.00 लाख रुपये और प्रति दुर्घटना 2.50 लाख रुपये की सीमा के साथ ।

पूरा होने की अवधि

जापन में बताए गए काम को पूरा करने के लिए दिए गए समय का ठेकेदार को सख्ती से पालन करना होगा और यह काम शुरू करने का लिखित आदेश जारी होने के 14वें दिन से माना जाएगा।

समय पर काम पूरा न होने पर हर्जाना (परिसमापन नुकसान)

काम संविदा की तय अवधि के दौरान पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर ठेकेदार तय अवधि के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे संविदा राशि का 0.25% प्रति हफ्ते की दर से परिसमापन नुकसान देना होगा, जिस अवधि के दौरान काम अधूरा रहेगा, यह संविदा राशि का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा और नियोक्ता ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे से ऐसे हर्जाने की कटौती कर सकता है।

3.16.3 बैंक भवन के परिसर में भंडारण की जगह देगा। हालांकि, भंडारण किए गए सामान की ज़िम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार की होगी। बैंक किसी भी कामगार के लिए रहने की जगह नहीं देगा।

3.17. दोष देयता अवधि (डीएलपी)

सभी सामग्री और कार्य की गारंटी कार्य के आभासी समापन की तारीख से एक वर्ष के लिए दी जाएगी। खराब कारीगरी के कारण सर्किट या सामग्री में पाए गए किसी भी दोष या दोष को ठेकेदार द्वारा इस अवधि के दौरान निःशुल्क ठीक किया

जाएगा। इसमें प्रयोक्ता द्वारा विद्युत परिपथों के गलत संचालन/अधिभार के कारण होने वाली किसी भी गलती को सुधारना शामिल नहीं है।

विशेष शर्तें -

निविदा के भाग-1 में दिए गए फ्लैटों का बिंदु वितरण अस्थायी है। सफल फर्म को सलाह दी जाती है कि वह काम शुरू करने से पहले बैंक के इंजीनियर के साथ चर्चा में फ्लैटों का दौरा करे, पुष्टि करे और पावर बिंदुओं के स्थान को अंतिम रूप दे।

फर्म को यह भी सलाह दी जाती है कि वह केवल निविदा विनिर्देशों के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के परामर्श से सामग्री का उपयोग करे।

ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुमत कार्य घंटों के दौरान कार्य को निर्धारित समय में ही पूरा करने के लिए कई टीमों को तैनात करें। सभी टीमों का समन्वय और पर्यवेक्षण काम के दौरान ठेकेदार द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है।

3.19 सामग्री की पैकिंग प्रेषण और वितरण

सफल ठेकेदार को पूर्ण लॉट देने से पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का एक नमूना प्रस्तुत करना होगा।

3.20 संविदा समझौते पर हस्ताक्षर

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, करार की शर्तों के तौर पर पहले बताई गई शर्तें और ई-निविदा दस्तावेजों के साथ दिए गए तकनीकी विनिर्देश और चित्र, बैंक और निविदाकर्ताओं के बीच बाद में हुई बातचीत, और दिया गया कार्यादेश, सफल बोलीदाताओं के साथ किए जाने वाले अंतिम करार का आधार होंगे।

1 निविदाकर्ता इसके साथ अनुबंध की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों के माध्यम से अनुसरण करेगा और उसका प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप सख्ती से होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। अनुबंध की

सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि में खुद को परिचित करने के बाद ई-निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

2 एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार हैं। अन्यथा, ई-निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

3 बैंक से उसकी ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और ई-निविदा करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी समझौते का गठन करेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

4 ठेकेदार अनुबंध नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता को सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

3.21 ई-निविदा के भाग को स्वीकार करने या बोली को अस्वीकार करने का अधिकार: बैंक ई-निविदा को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर होता है।

ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, बैंक अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है,

जिससे प्रभावित निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं के लिए कोई दायित्व नहीं होता है। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित के कारण अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो।

किसी भी घटना के घटित होने के कारण चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।

निविदाकर्ताओं की ओर से संभावित सहयोग/शरारत का प्रमाण, चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में हेरफेर करना, कोई अन्य कारण, जिसके लिए बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक हो जाता है।

ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक सभी निविदाकर्ताओं को 7 दिनों या ऐसे निर्णय के किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में किसी भी निविदाकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता बोली प्रतिभूति को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (ए) से (डी) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं तो बैंक, प्रक्रिया को फिर से निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

3.22 ई-निविदा का मूल्यांकन

पात्र निविदाओं (जो निविदा के भाग I में अर्हता प्राप्त करते हैं) का मूल्यांकन छूट सहित कार्य के लिए उद्धृत कुल राशि के आधार पर किया जाएगा।

समग्र L1 बोलीदाता कार्य प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा।

3.23 मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

ई-टेंडरिंग से पहले ठेकेदार द्वारा यह पक्का कर लिया माना जाएगा कि वह काम के लिए अपने ई-निविदा के सही और काफ़ी होने के साथ-साथ मात्राओं की अनुसूची और/या दरें और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों से भी संतुष्ट है। ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी।

मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जाता है।

सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की सभी मदों को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तुओं को मात्रा और दरों में शामिल नहीं किया गया हो। ऐसी अतिरिक्त मदों और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेश की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं और भारतीय विद्युत नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में भी किए जाएंगे और किसी भी कारण से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके कारण होने वाली किसी भी दर को निविदा में ही शामिल किया जाएगा।

ई-निविदा में दी गई दर पर मचान, सीढ़ी, रात और दिन में निगरानी और लाइटिंग के सभी चार्ज शामिल होंगे, जिसमें रविवार और छुट्टियां भी शामिल हैं, बाकी सभी बनी हुई चीजों, सामान या चीजों की सुरक्षा शामिल होगी और ठेकेदार ज़रूरत पड़ने पर या जब ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, तो ऐसी सभी सेंट्रिंग, मचान वगैरह को हटा देगा और काम के दौरान खराब हुई सभी चीजों और कामों को पूरी तरह से ठीक कर देगा और बैंक की संतुष्टि के अनुसार सही कर देगा।

3.24 भाषा: चित्र, दस्तावेज, कैटलॉग आदि में सभी लेबल सहित ई-निविदा अंग्रेजी भाषा में होगी।

3.25. अन्य मुद्दे

ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुमोदित ड्राइंग, विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर/सलाहकार की राय में, साइट की स्थिति के अनुरूप नाममात्र परिवर्तन किए जाने हैं और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

3.26. निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वे ई-निविदा जमा करने से पहले चित्रों की जांच करें, कार्य स्थल का निरीक्षण करें और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति आदि से खुद को परिचित करें।

3.27. बैंक के इंजीनियर के पास उपरोक्त उद्देश्य के लिए कार्य के निष्पादन के मामले में ठेकेदार के कार्यों या साइट पर अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी समय पूर्ण और मुफ्त पहुंच होगी, और वह ठेकेदार को निरीक्षण या कार्य या उसके किसी भी हिस्से

या उसके किसी भी हिस्से या किसी भी सामग्री के लिए अपने परिसर में या बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर व्यवस्था करने की आवश्यकता कर सकता है और यदि ठेकेदार को अनुमति दी गई है एक उप-ठेकेदार की सेवा को नियोजित करें, बैंक के इंजीनियर को एक समान अधिकार आरक्षित करें।

हालांकि, यह किसी भी तरह से ठेकेदार को निर्दिष्ट स्थल पर निर्माण और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/घटकों के उचित प्रदर्शन के बारे में उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

3.28. बैंक के इंजीनियर को सभी उपकरणों और सामग्रियों को एक ही या उसके किसी भी हिस्से के हिस्से को ऐसे परीक्षणों में डालने का अधिकार होगा जो वह उचित और सही समझ सकता है। ठेकेदार निरीक्षक द्वारा अपनाई गई परीक्षण की विधि पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा। ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, सभी सामग्री, उपकरण, श्रम और हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा, जो बैंक का इंजीनियर किसी भी परीक्षण/निरीक्षण और परीक्षा के लिए उससे मांग कर सकता है, जिसे उसे ठेकेदार के परिसर में करने की आवश्यकता होगी और उस पर सभी लागतों को वहन और भुगतान करेगा।

3.29. अस्वीकृति का परिणाम: अगर उपकरण पर या उपकरण या उसके किसी हिस्से को बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर ठेकेदार तय आपूर्ति/पूरा होने के समय के अंदर ठीक से आपूर्ति नहीं कर पाता है या किए गए खराब काम को ठीक नहीं कर पाता है, तो बैंक को यह करने की आज्ञा दी होगी:

ठेकेदार को अस्वीकृत किए गए उपकरण या पार्ट्स के बदले में, तय समय के अंदर दोबारा जमा करने की इजाजत दें, और ऐसे रिप्लेसमेंट पर अगर कोई भाड़े का खर्चा होगा, तो ठेकेदार उसे देगा, और उसे इस वजह से कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा; या

ठेकेदार को उसके जोखिम और लागत पर और अनुबंध के तहत आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार के दायित्व को प्रभावित किए बिना (जब विनिर्देशों का बिल्कुल अनुपालन करने वाले उपकरण या पुर्जे बैंक की राय में नहीं होते हैं जो कि अंतिम रूप से उपलब्ध होंगे) उपकरण या अस्वीकृत भागों या इसी तरह के विवरण के अन्य भागों की मात्रा/कार्य की खरीद/निष्पादन या प्राधिकृत करना; या

संविदा रद्द करें और उपकरण या समान वर्ण के अन्य सामान की खरीद/कार्यान्वयन करें या उसकी अनुमति दें (जब बैंक की अंतिम राय में निर्दिष्ट विनिर्देशों के पूर्ण अनुरूप उपकरण या भाग तत्काल उपलब्ध नहीं होते हैं), जिसका संपूर्ण जोखिम और लागत ठेकेदार के भार पर होगा। यदि उपरोक्त खंड (b) या इस खंड के तहत कार्यवाही की जाती है, तो देयता खंड की व्यवस्थाएँ जहाँ तक लागू हो सकती हैं, लागू होंगी।

अस्वीकृति के संबंध में बैंक के अभियंता का निर्णय अंतिम - अस्वीकृति के संबंध में बैंक के अभियंता का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार की अपील के अधीन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

3.30. निरीक्षक का प्रदर्शन प्रमाणित करने का अधिकार:

बैंक का इंजीनियर निम्नलिखित शक्तियों से संपन्न होगा:

- a) किसी भी उपकरण या उसके किसी भाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व यह प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि वे या उनका कोई भाग अनुबंध के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि कोई असंतोषजनक निर्माण विधि अपनाई गई है;
- b) निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप न होने के कारण किसी भी उपकरण या भाग को अस्वीकार करने का अधिकार;
- c) यदि निरीक्षण के बाद वह अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझे गए उपकरण के किसी भाग की जाँच करने पर संतुष्ट हो जाता है कि यह असंतोषजनक है, तो पूरे उपकरण को

अस्वीकार करने का अधिकार; तथा

d) अस्वीकृत उपकरण या भागों पर एक अस्वीकृति चिह्न लगाने का अधिकार, ताकि यदि इन्हें पुनः प्रस्तुत किया जाए तो इन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

3.31. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-अनुबंध में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में देरी शामिल है। नियोक्ता ई-निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

3.32. **श्रम लाइसेंस:** ठेकेदार को अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं अन्य संबंधित वैधानिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन एवं निर्वहन करना होगा, तथा यदि लागू हो तो सभी वैधानिक आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा। प्रस्तावित दर में विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन ईएसआई, ईपीएफ, बोनस अथवा किसी अन्य प्रकार की मुआवजा आदि के रूप में देय राशि शामिल होगी।

3.33 सफल निविदाकर्ता को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ सुचारु रूप से आगे बढ़े।

विलंबित भुगतान: नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में दिए गए 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर उस तारीख से, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए

था, भुगतान होने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में उल्लिखित दर से ब्याज लगेगा। यह शर्त निविदा में बताए गए सभी तरह से पूरा इनवाँइस और निविदा में उल्लिखित अन्य दस्वावेज़ों के जमा करने के बाद ही लागू होगा।

मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा: अनुबंध या कार्यों के निष्पादन (कार्यों के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या भंग से पहले या बाद में) से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद बैंक को भेजे जाएँगे और बैंक द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा, जो अपना निर्णय लिखित रूप में बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपेक्षित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इसमें कोई अपील नहीं होगी। लेकिन यदि नियोक्ता या ठेकेदार किसी मामले पर असंतुष्ट हैं, तो किसी भी तरह के विवाद का प्रश्न, अपवादित मामलों को छोड़कर, तब और ऐसे किसी भी मामले में कोई भी पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार) ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें मांग की जाएगी कि विवादित मामलों पर ऐसे लिखित नोटिस पर मध्यस्थता की जाए, उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद या मतभेद में हैं, जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई आदेश नहीं दिया जाएगा और इसके द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है और मध्यस्थ का अंतिम निर्णय दोनों पक्षों द्वारा सहमत और नियुक्त किया जाना चाहिए या, एक मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति, प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जो मध्यस्थ बोझ या संदर्भ को स्वयं लेने से पहले एक निर्णायक नियुक्त करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट अपवादित मामलों के संबंध में छोड़कर, और विवादित सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनके बारे में पूर्वोक्त रूप से नोटिस दिया गया है।

मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, मामले को प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित किसी अतिरिक्त विस्तारित समय के भीतर) अपना निर्णय सुनाएगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार अपने विवाद या मतभेद को पारस्परिक रूप से सुलझा लेते हैं, सुलह कर लेते हैं या समझौता कर लेते हैं, तो मध्यस्थता के लिए संदर्भ और मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति रद्द मानी जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से वापस ले ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी जिस तिथि को पक्षकार मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, के साथ समझौते का एक संयुक्त ज्ञापन दाखिल करते हैं।

ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर, संदर्भ और पंचाट से संबंधित लागत क्रमशः मध्यस्थ या पंचाटकर्ताओं के विवेक पर निर्भर होगी, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं, या पक्षकार और पक्षकार के बीच कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि वह राशि किसके द्वारा, किसे और किस मामले में वहन की जाएगी और भुगतान की जाएगी।

यह प्रस्तुति भारतीय माध्यस्थता अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति मानी जाएगी।

मध्यस्थ या पंचाटकर्ताओं का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति हुई है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्य में विलंब नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता से कार्य

करेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय आने तक, जैसा भी मामला हो, बैंक के निर्णय का पालन करेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा यह भी सहमत हैं कि इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता, अनुबंध के अंतर्गत किसी भी कार्यवाई के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

3.36 अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार -नियोक्ता को कार्य और ठेकेदार के अंतिम बिल, जिसमें सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल हैं, की तकनीकी जाँच कराने का अधिकार होगा, जो अंतिम बिल के भुगतान के समय प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इस जाँच के परिणामस्वरूप, अन्यथा, कोई राशि अधिक भुगतान की गई या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि की वसूली करना वैध होगा।

3.37 नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवजे को कवर करने का अधिकार यदि किसी भी कारण से नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करने का हकदार होगा, वह भी उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या उसके द्वारा देय किसी राशि से कटौती करके वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि हेतु पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

कार्यों का परित्याग -यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से पूरे कार्य या उसके किसी भाग को पूरा करने की मांग नहीं करता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित में सूचना देगा, जिसका किसी भी लाभ या फायदे के लिए मुआवजे या अन्यथा किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा, जो उसे पूरे कार्य के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

अधिशेष सामग्री की वापसी- इस अनुबंध के किसी भी या सभी खंडों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से अनुबंध के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति और वापसी के बिना उनका निपटान नहीं करेगा यह नियोक्ता को, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी पैसे, लाभ या मुनाफे के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप या जो सामान्य पाठ्यक्रम में इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप हुआ होगा।

ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार - इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना,

यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

गैर-प्रकटीकरण खंड- ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा किसी तीसरे पक्ष को नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

यौन उत्पीड़न खंड-

ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी और ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी।

बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों, तो ठेकेदार को किसी भी प्रकार के आर्थिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होना होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई आर्थिक राहत।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होगा।

ठेकेदार को बैंक के परिसर में काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची देनी होगी।

3.43. खंड 3.41 और 3.42 डीएलपी और एएमसी के दौरान भी समझौते का हिस्सा होंगे।

3.44 अप्रत्याशित घटना: यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से परे किसी घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है (जैसे कि दैवी घटना, युद्ध जैसी स्थितियां, दंगे, श्रम हड़ताल, सरकारी कार्य, भूकंप, चक्रवात, आंधी, और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, आदि), तो इस समझौते के तहत उस पक्ष की चूक नहीं मानी जाएगी। प्रत्येक पक्ष इस समझौते के तहत कार्य निष्पादन को जारी रखने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण गैर-निष्पादन की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो जिस पार्टी की निष्पादन

करने की क्षमता इतनी प्रभावित नहीं हुई है, वह लिखित सूचना देकर, इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

दिनांक:

फर्म के हस्ताक्षर

स्थान:

(प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा)

खंड IV

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक उपचार उपकरण, जिनमें रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रुई की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, आसानी से पहुँच योग्य स्थान पर रखे जाएँगे।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. ऐसे सभी कार्यों के लिए, जिन्हें ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता, श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मज़बूत मंचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेलिंग के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न डंडों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर नहीं रखा जाएगा, जो भी अधिक हो। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फ़ेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी; कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. किसी भी फ़र्श, छत या संरचना के अन्य भाग पर सामग्री या मलबे का इतना अधिक भार नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएँगे।

9. वेल्डिंग कार्यों में लगे श्रमिकों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आँखों की ढाल और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

10. लेड या लेड उत्पाद वाला कोई भी पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के। जब पेंट स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों को इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाएंगे।।

11. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल प्रदान किए जाएंगे और काम बंद होने की अवधि के दौरान काम करने वाले चित्रकारों को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

12. काम में इस्तेमाल होने वाली होस्टिंग मशीनें और टैकल, जिनमें उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट शामिल हैं, एकदम सही हालत में होने चाहिए। सामान उठाने या नीचे उतारने में इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ या सस्पेंशन के साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मज़बूती वाले होने चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।

13. ठेकेदार सांविधिक मानदंडों के अनुसार काम करने के लिए श्रमिकों को सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।

14. कार्य निष्पादन के दौरान आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे।

अग्नि सुरक्षा

- i. कार्यस्थल पर प्रयुक्त कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरणों को सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
- ii. केवल ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
- iii. प्रयुक्त विद्युत केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग उचित होनी चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि, संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किए जाने चाहिए।
- v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, अग्निशमन विभाग को सूचित किया जाना चाहिए और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण करने के बाद ही कार्य शुरू किया जाना चाहिए।
- vi. कार्यस्थल पर आसानी से पहुँचने योग्य क्षेत्र में पानी और रेत की दो बाल्टियाँ रखी जानी चाहिए।
- vii. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्र कार्यस्थल पर रखे जाने चाहिए।
- viii. प्रयुक्त पेंट के ड्रमों को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहित किया जाना चाहिए।
- ix. व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाव के लिए ठेकेदार द्वारा काम की आवश्यकता के अनुसार कामगारों को सुरक्षा जूते, दस्ताने, वेल्डर मास्क, ईयर प्लग आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे।
- x. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और कामगारों द्वारा भूतल से 10 फीट से अधिक ऊँचाई पर काम करते समय इसका उपयोग किया जाएगा।

- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- xii. सीढ़ियों के दोनों दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाएँगे।
- xiii. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xiv. जब उपकरण उपयोग में न हो तो मुख्य आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
- xv. कार्य से उत्पन्न लकड़ी के खुरचन और बुरादे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्धारित स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
- xvi. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्धारित स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
- xvii. कार्यालय समय के बाद काम करने वाले कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थान:

तारीख:

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर.

खंड V

इसमें पूर्व में उल्लिखित शर्तें

1. इन शर्तों, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते के निर्माण में, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ उनके लिए निर्धारित अर्थ होगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

| | |
|--------------------------|--|
| ए) "नियोक्ता" | इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल होंगे। |
| बी) कंपनी के मामले में | "ठेकेदार का मतलब _____ के तहत निगमित कंपनी _____ होगा और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे। |
| सी) "साइट" | इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों की साइट जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है। |
| डी) "यह अनुबंध" | इसका अर्थ होगा समझौते का लेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची इससे जुड़ी और विधिवत हस्ताक्षरित। |
| ई) "लिखित रूप में सूचना" | इसका अभिप्राय लिखित, टंकित या मुद्रित या लिखित सूचना" अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो, अन्यथा यह सिद्ध हो जाए कि वह प्राप्त हो गया है) |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजा गया हो और उसे उस समय प्राप्त हुआ समझा जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में उसे वितरित किया जाता।</p> |
| <p>एफ) "दिवालिया अधिनियम"</p> | <p>इसका अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियेपन अधिनियम, या प्रांतीय दिवालियेपन अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी दिवालियेपन अधिनियम से होगा।</p> |
| <p>जी) "शुद्ध मूल्य"</p> | <p>यदि अनुबंध राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार ने निविदा में दी गई कुल मदों में प्रतिशत या अन्य रूप से कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य, निविदा में दर्शाए गए वास्तविक आंकड़ों में उस वस्तु के मूल्य के समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित करते समय, किसी भी मूल लागत मदों और अनंतिम धनराशि की कुल राशि को निविदा की कुल राशि से घटाया जाएगा। अनुबंध या खाते के संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" का अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरें या मूल्य ही माना जाएगा।</p> |

| | |
|-------------|---|
| एच) "कार्य" | इसका मतलब होगा कि कानपुर में बैंक के कार्यालय परिसर और दो आवासीय कॉलोनियों के लिए पूरी तरह से स्वचालित जैविक अपशिष्ट कनवर्टर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग |
|-------------|---|

2. अनुबंध का दायरा: ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को करेगा और पूर्ण करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के आरेखण और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश के संबंध में" कहा जाता है:

क) डिज़ाइन, गुणवत्ता या कार्यों में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य में वृद्धि, कमी या प्रतिस्थापन।

ख) आरेखण में या मात्रा अनुसूची और/या आरेखण और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।

ग) ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई किसी भी सामग्री को हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।

घ) ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।

ड) उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।

च) किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।

छ) इसके खंड 20 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण,

यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, इन्हें अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों का विवरण देते हुए परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ये विवरण उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर दिए जाते।

3. अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार प्रत्येक अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे।

. ठेकेदार लाइन आरेख तैयार करेगा और कार्य करने के लिए साइट की योजना तैयार करेगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक इंजीनियर को सभी आरेखण और विनिर्देश लौटाने होंगे।

4. ठेकेदार को अपने खर्च पर आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे उन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को आरेखणों में या आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह उसे तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका अनुसरण किया जाए।

5. प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट: ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी प्रणाली से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और आरेखणों या विनिर्देशों में

कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, वास्तुकार को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 13 के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

6. कार्य की रूपरेखा: ठेकेदार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और पूर्ण रूपरेखा के लिए तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

7. सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए: सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और अनुबंध के अनुसार होनी चाहिए और ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें

और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्चे पर किसी भी सामग्री का परीक्षण कराएगा और/या परीक्षण की व्यवस्था कराएगा।

8. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर उसका प्रतिनिधि: ठेकेदार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद, नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य के पूरे चालू रहने के दौरान, एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो कर्मचारियों के कार्य करते रहने तक, कार्यों पर निरंतर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना, ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

9. कामगारों की बर्खास्तगी: ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

10. कार्यों तक पहुँच: नियोक्ता को सभी उचित समयों पर, कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक, जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, निर्बाध पहुँच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को सामग्रियों और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. बैंक इंजीनियर: बैंक इंजीनियर शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति होगा। ठेकेदार, कार्यों और

सामग्रियों के निरीक्षण तथा समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए बैंक इंजीनियर को हर संभव सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

बैंक इंजीनियर या नियोक्ता को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न होने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्रियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा समय-समय पर कार्य की जाँच की जाएगी, लेकिन ऐसी जाँच किसी भी तरह से ठेकेदार को कार्य के किसी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। इस खंड की सीमाओं के अधीन, ठेकेदार केवल बैंक इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।

12. समनुदेशन और उप-पट्टा: अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार अनुबंध की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।

13. कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन, या वृद्धि, या लोप करना या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रकार में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा, या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार अनुबंध के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन, वृद्धि या लोप या कोई विचलन नहीं करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या लोप का मूल्य, सभी मामलों

में, नियोक्ता द्वारा खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

14. मात्राओं की अनुसूची: मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न बताई गई हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

मात्रा की अनुसूची से विवरण या मात्रा में या वस्तुओं की चूक में कोई भी त्रुटि इस संविदा को निरस्त नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और इसके मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत पता लगाया गया है, संविदा राशि (जैसा भी मामला हो) में जोड़ा जाएगा, या घटाया जाएगा, बशर्ते कि त्रुटियों का कोई सुधार न हो, यदि कोई हो, तो ठेकेदार की दरों की अनुसूची में अनुमति दी जाएगी।

मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता: ठेकेदार को कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा और मात्रा की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में जो दरें और कीमतें संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों को कवर करेंगी, और कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मामले और चीजें।

कार्यों का मापन: बैंक का इंजीनियर, समय-समय पर, ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है, और ठेकेदार इस तरह के माप और गणना करने में सहायक अभियंता की सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट को तुरंत उपस्थित

करेगा या भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगा ।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने की उपेक्षा या छोड़ देता है तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा किए गए माप को कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है।

नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्यों, चूक और सभी विविधताओं को ऐसे मापों में शामिल किया जाएगा।

अतिरिक्त कार्य के लिए कीमतें: ठेकेदार, जब अधिकृत हो सकता है और नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में निर्देशित किया जाता है, तो ड्राइंग में दिखाए गए कार्यों को जोड़ने, छोड़ने या बदलने के लिए, या विनिर्देश में वर्णित है, या मात्रा की अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन ठेकेदार इस तरह के प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, चूक या भिन्नता नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा एक मौखिक अधिकार या निर्देश, यदि उनके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

अतिरिक्त कार्य के लिए किसी भी दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इसे यहां उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से उपरोक्त खंड के प्रावधानों के तहत निष्पादित

नहीं किया गया हो। यहां इस तरह के किसी भी अतिरिक्त कार्य को अधिकृत के रूप में संदर्भित किया गया है और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा।

(i) मूल निविदा में निवल दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी जहां समान स्वरूप में ऐसे अतिरिक्त कार्य और उसमें कार्य मूल्य के अनुसार शर्तों के तहत निष्पादित किया जाएगा। तथापि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान यदि कार्य की किसी भी वस्तु की मात्रा निविदा मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो परियोजना के वास्तुकारों के प्राधिकार द्वारा और नियोक्ता की सहमति से निविदा मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक निष्पादित ऐसी मदों को कार्य की एक अतिरिक्त मद माना जाएगा जिसके लिए ठेकेदार विश्लेषण के बाद वास्तविक लागत के आधार पर काम किया और स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और लाभ के लिए 15% दर द्वारा समर्थित नई दरें प्रस्तुत करेंगे। कार्य की ऐसी सभी मदों के लिए दरें, वर्तमान होने के कारण, निविदा में दिए गए मूल्य वृद्धि फॉर्मूले के अनुसार सामग्री और श्रम दरों की कीमतों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि नियोक्ता के विवेकाधिकार पर स्वीकृत निविदा से काम की किसी भी वस्तु को हटा दिया जाता है, तो ठेकेदार इस खाते पर किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

(ii) सभी मदों के लिए दरें, जहां भी संभव हो, मात्रा की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।

मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है, तो उसी के लिए कीमतों का मूल्य इसके उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।

जहां अतिरिक्त कार्य समान स्वरूप के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान परिस्थितियों में उद्धृत किए गए हैं या जहां चूक अलग-अलग होती है, वे शर्तें जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि किसी भी चूक या परिवर्धन की राशि पूरे संविदा कार्यों की

राशि या उसके किसी भी हिस्से के सापेक्ष ऐसी होगी कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्रा या निविदा की मूल्य अनुसूची में निहित शुद्ध दर या मूल्य या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किए गए नुकसान या व्यय शामिल हैं या इस तरह की चूक या जोड़ के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो गए हैं, बैंक का इंजीनियर नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि परिस्थितियों में वह उचित और उचित समझेगा।

जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को निविदा या मूल्य अनुसूची या मात्रा में बताई गई शुद्ध दरों के रूप में दिन के काम की कीमतों की अनुमति दी जाएगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दिन की कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय (श्रमिकों के नाम) और नियोजित सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए वितरित किए जाएं। या उसके बाद के सप्ताह के अंत से पहले जिसमें कार्य निष्पादित किया गया है।

संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताए गए "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं कहा गया है, तो संविदा कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर जैसा कि खंड 21 में परिभाषित किया गया है।

अनिश्चित सामग्री जब नियोक्ता की संपत्ति मानी जाती है

जहां किसी भी प्रमाण पत्र में (जिसमें से ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अनिश्चित सामग्री के मूल्य को शामिल किया है और / या कार्यों पर या उसके आस-पास रखा गया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और

नियोक्ता के लिखित अधिकार के बिना, कार्यों पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्रियों के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुचित कार्य को हटाना : नियोक्ता को कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का लिखित आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि किसी भी सामग्री के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन, और सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित रूप से पुनः निष्पादन जो ड्राइंग और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है और ठेकेदार तुरंत अपनी लागत पर इस तरह के आदेश को पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, नियोक्ता के पास किसी भी भुगतान अन्य व्यक्तियों को इसे पूरा करने के लिए नियोजित करने की शक्ति होगी; और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आकस्मिक, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार के देय हो सकते हैं।

वास्तविक कार्य समापन के बाद दोष: कोई भी दोष, संकोचन, निपटान या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष देयता अवधि" के भीतर प्रकट हो सकता है, या, यदि किसी ने भी कार्यों के वास्तविक कार्य समापन के बाद दोष देयता अवधि के दौरान उन्हें नहीं कहा है, तो नियोक्ता की राय में उत्पन्न होने वाली कारीगरी की सामग्री संविदा के अनुसार नहीं है, नियोक्ता के लिखित निर्देश पर, और ऐसे उचित समय के भीतर जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और अच्छा किया जाएगा और डिफॉल्ट के मामले में नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को ऐसे दोषों, संकोचन

निपटानों या अन्य दोषों को संशोधित करने और अच्छा करने के लिए भुगतान कर सकता है, और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान और व्यय आकस्मिक हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा अच्छा बनाया जाएगा और वहन किया जाएगा या नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर, लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर, किसी भी देय धन से या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है, या नियोक्ता इस तरह के संशोधन के बदले में ठेकेदार द्वारा ठेकेदार के कारण किसी भी धन से कटौती कर सकता है, इस तरह के काम में संशोधन की लागत के बराबर नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और खंड 32 के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि की वसूली करें, साथ ही नियोक्ता ने इसके संबंध में किसी भी खर्च को भी किया हो। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या किसी भी उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री जो इसके खंड 12 और 22 के तहत प्रदान किए गए अनुसार नामित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह से अच्छा करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा काम या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इसके खंड 2 के प्रावधान के अधीन था। ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या नियोक्ता द्वारा किसी भी खाते को पारित करने के लिए उत्तरदायी रहेगा।

वास्तविक कार्य पूर्णता और दोष देयता अवधि का प्रमाण पत्र: कार्यों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक के इंजीनियर ने लिखित रूप में प्रमाणित नहीं किया है कि वे लगभग पूरे हो गए हैं। दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाणपत्रों की तारीख से शुरू होगी।

नामित उप-ठेकेदार: सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारोबारी और अन्य किसी भी सामान की आपूर्ति और फिक्सिंग के किसी भी काम को निष्पादित करते हैं, जिसके लिए प्रमुख लागत मूल्य या अनंतिम रकम मात्रा और / या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल हैं, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और यहां नामित उप-ठेकेदारों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

ठेकेदार के एवज में कार्यों पर या उसके संबंध में किसी भी नामित उप-ठेकेदार को नियोजित नहीं किया जाएगा, उचित आपत्ति होगी (सिवाय जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत होंगे) जो संविदा प्रदान करने में प्रवेश नहीं करेंगे।

कि नामित उप-ठेकेदार उप-संविदा के संबंध में उसी दायित्व के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा जैसा कि ठेकेदार इस संविदा के संबंध में है।

नामित उप-ठेकेदार उप-ठेकेदारों, उसके नौकरों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही के संबंध में दावों के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा, या उनके द्वारा या किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या लागू किसी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत किसी भी दुरुपयोग के संबंध में।

नियोक्ता के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर नामित उप-ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने से पहले ठेकेदार अनुरोध पर बैंक को प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों को विधिवत पूर्ण किया गया है ; डिफॉल्ट रूप से जिसमें नियोक्ता बैंक के प्रमाण पत्र पर उसी का भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी

रकम से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति का प्रयोग नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच निजी संविदा का निर्माण नहीं करेगा।

नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति: नियोक्ता इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, और ठेकेदार इस तरह के कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा, लेकिन विशेष व्यवस्था को छोड़कर इस तरह के कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी इस तरह के काम को इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार किसी भी क्षति या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इस तरह के काम के साथ हो सकता है या हो सकता है।

व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा: ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए जिम्मेदार होगा, और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही दुर्घटना या किसी अन्य खंड से उत्पन्न हो, जो भी इस संविदा को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड को अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को किसी भी तरह की क्षति, चाहे वह तत्काल आसन्न हो या अन्यथा, और सड़क, सड़कों, फुटपाथ, पुलों या मार्गों को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य अशांति से इस संविदा का विषय बनाने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाली क्षति को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा

और उपरोक्त के रूप में व्यक्तियों या संपत्ति को ऐसी किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित ठहराएगा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप किसी भी सजा या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी किसी भी विधायिका के किसी भी कार्य के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा प्रतिपूर्ति करेगा ।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा, ताकि संविदा के पूरे कार्यों को हर तरह से पूर्ण और पूर्ण किया जा सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के लिए सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके।

मानव जीवन (ठेकेदार से संबंधित नहीं व्यक्ति) के नुकसान/अक्षमता को कवर करने के लिए ठेकेदार द्वारा तीसरे पक्ष की देयता को कवर करने वाली एक बीमा पॉलिसी ली जाएगी। इसमें स्थल पर उक्त ठेका कार्य के निर्माण/निर्माण/चालू होने के दौरान अन्य की सामग्री/उपकरण/संपत्तियों को नुकसान होने का जोखिम भी शामिल होगा। मानव जीवन के नुकसान या पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मुआवजे के लिए तीसरे पक्ष के दायित्व का मूल्य पूर्ण और आंशिक विकलांगता के लिए आवश्यक वैधानिक मूल्य का होगा और फिर भी इस तरह के मुआवजे को कवर करेगा जो कानून की अदालत द्वारा दिया जा सकता है। अन्य के उपकरणों/संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए कवर बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ठेकेदार के उप-ठेकेदार पॉलिसी में धारक या लाभार्थी नहीं होंगे और न ही उन्हें पॉलिसी में नामित किया जाएगा। बैंक ठेकेदार के साथ पॉलिसी का प्रमुख धारक होगा। बैंक पॉलिसी असाइन करने का विशेष अधिकार सुरक्षित रखता है।

ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, जनता का कोई भी सदस्य या अन्य तीसरा पक्ष हो सकता है, जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामों में उत्पन्न हो सकता है और अपने स्वयं के खर्चों पर संविदा के आभासी समापन तक प्रभावी और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक नीति और इस संविदा की मुद्रा के दौरान समय-समय पर आर्किटेक्ट के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करें। ठेकेदार भी इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत हो या इस संविदा की मुद्रा के दौरान या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में लागू हो और अपने स्वयं के खर्च पर प्रभाव और रखरखाव करेगा, ऐसे जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में और संविदा की मुद्रा के दौरान समय-समय पर आर्किटेक्ट के साथ ऐसी पॉलिसी या नीतियों को जमा करेंगे ।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से निष्पादित किया जा सकता है और इस संविदा पारगमन, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग नीति के लापरवाह या दोषपूर्ण संचालन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति भी करेगा।

नियोक्ता किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत, शुल्क और व्यय की राशि में कटौती करने का हकदार होगा, जो किसी भी या सभी दावों या क्षति के संबंध में या किसी भी या सभी रकम से उत्पन्न होने वाली क्षति या ठेकेदार के कारण होने के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो जाता है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ नियोक्ता और स्वयं के संयुक्त नाम पर निम्नलिखित बीमा पॉलिसी को लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और नियोक्ता के साथ पहले (प्रिंसिपल) होगा और इस संविदा की मुद्रा के दौरान समय से नियोक्ता के साथ ऐसी पॉलिसी या नीतियों को जमा करेगा।

संविदा की कुल राशि के लिए ठेकेदार की सभी जोखिम नीति (सीएआर पॉलिसी) ।

कामगार मुआवजा नीति।

निम्नानुसार सीमा के साथ तृतीय पक्ष देयता नीति: ₹.10,00,000/- प्रति वर्ष ₹.2,50,000/- प्रति घटना।

बीमा: ठेकेदार, कार्य शुरू होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करेगा और संविदा की पूरी राशि के लिए नियोक्ता और ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) के संयुक्त नाम पर एक कार्यालय के साथ आग से नुकसान या क्षति के खिलाफ कार्यों के आभासी समापन तक उनका बीमा करेगा। ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार काम शुरू होने से इक्कीस दिनों के भीतर नियोक्ता के पास प्रीमियम के लिए पॉलिसी और रसीदें जमा करेगा। ठेकेदार की चूक में, जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, बीमा करते हुए, नियोक्ता कार्यों का बीमा कर सकता है और इस तरह के चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी देय धन से भुगतान किए

गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है। यदि कार्यों को निलंबित करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार जैसे ही पॉलिसी के तहत दावा निपटा जाता है, या बीमा कार्यालय द्वारा बहाल किए गए कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, यदि वे ऐसा करने का चुनाव करते हैं, तो कार्यों को पूरा करने के साथ उसी तरह से सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ें जैसे कि आग नहीं लगी थी और सभी मामलों में संविदा की समान शर्तों के तहत। आग लगने के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में ठेकेदार पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि उचित समझे।

26 कार्य प्रारंभ और पूरा होने की तिथि: ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तिथि" पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, या प्रत्येक बाद की तारीख के रूप में नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसके बाद और तुरंत काम शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (इस तरह की पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर जैसा कि बैंक देरी करना चाहता है) या "पूरा होने की तारीख" में बताए गए इसके बाद समय बढ़ाने के उपबंधों के अधीन परिशिष्ट में शामिल है।

27 पूरा न होने पर नुकसान: यदि ठेकेदार परिशिष्ट में बताई गई तारीख तक या खंड 26 और 20 के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को उस अवधि के लिए परिशिष्ट में नामित राशि का भुगतान करेगा जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता ठेकेदार के कारण किसी भी धन से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है।

28 देरी और समय का विस्तार: यदि नियोक्ता की राय में कार्यों में देरी निम्न कारणों से हो रही है (ए) अप्रत्याशित घटना या (बी) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या सी) ठेकेदार के स्वयं के डिफॉल्ट के अलावा अन्यथा उत्पन्न होने वाले आसन्न या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ की गई कार्यवाही या विवाद के कारण या (डी) नियोक्ता द्वारा लगे या नामांकित अन्य ठेकेदार या ट्रेड्समैन के कार्यों या देरी से और मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं किया गया है या (ई) इसके खंड 17 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारणों से, (च) सिविल हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (छ) ठेकेदार को नियत समय में आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य से ऐसे कारण जिन्हें बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से परे प्रमाणित कर सकता है या (I) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक पूरा होने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है, जैसे ही बैंक को लिखित सूचना दी जा सकती है, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए अपने प्रयासों का लगातार उपयोग करेगा और करेगा वह सब जो काम के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है।

29.नियोक्ता के निर्देश का पालन करने में ठेकेदार की विफलता: यदि 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद ठेकेदार इस तरह के आगे के आरेखों और/या बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है, जो कि उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो

सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएंगी या ठेकेदार के कारण किसी भी धन से उसके द्वारा काटी जा सकती हैं।

30.नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति: यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या उसे दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा या दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में अदालत और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस के सात दिनों के भीतर असमर्थ हो जाएगा, जिसमें उसे ऐसा करने की आवश्यकता होती है, वास्तुकार की उचित संतुष्टि दिखाने के लिए कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और इसलिए सुरक्षा देने के लिए, यदि वास्तुकार द्वारा आवश्यक हो।

या यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, पहली या निगमित कंपनी ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को निष्पादन या अदालत की कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

या इस संविदा के तहत ठेकेदारों के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कोई भी भुगतान।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को सबलेट करने के लिए असाइन करेगा जो पहले था और प्राप्त किया गया था।

या इस संविदा या किसी भी भुगतान को चार्ज या भारित करेगा या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है।

संविदा को छोड़ दिया है, या

कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के कार्य की प्रगति को बैंक से आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए निलंबित कर दिया है या

इस तरह के उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या

साइट से सामग्री को हटाने या सात दिनों के लिए काम को नीचे खींचने और बदलने में विफल रहा है, बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करता है कि उक्त सामग्री या कार्य की इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था' या

संविदा द्वारा किसी भी कार्य, मामले या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा सात दिनों के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार उपेक्षित या विफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस के बाद ठेकेदार को दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, संविदा का निर्धारण कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा जैसे कि संविदा इस तरह से

निर्धारित नहीं किया गया है, और इसलिए यदि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था। और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या नौकरों द्वारा परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तनों और सामग्रियों में प्रवेश कर सकता है और उन पर कब्जा कर सकता है, और अपनी संपत्ति के रूप में इसका उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के नौकरों और श्रमिकों के माध्यम से काम को पूरा करने और पूरा करने में या किसी अन्य को नियोजित करके नियोजित कर सकता है ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पूरा करने और खत्म करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए कोई कार्य या कार्य नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सके, बैंक ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दें। इसके बाद नियोक्ता अपने हाथ में लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री के बारे में क्या है, जो इस प्रकार लिया गया है, या नियोक्ता द्वारा लिया गया है और नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या नुकसान होगा, और राशि। यदि कोई हो, ठेकेदार और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

31. ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति: यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए अवैतनिक होगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया होगा, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र के मुद्दे में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता संविदा को अस्वीकार कर देगा, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या कानून की किसी भी अदालत के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में भी ठेकेदार नियोक्ता को लिखित रूप में नोटिस द्वारा संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से पुनर्प्राप्त करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीदी गई या उद्देश्य या संविदा के लिए तैयार किया जा सकता है।

इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने में, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन इसके खंड 17 के अनुसार किया जाएगा।

32. प्रमाण पत्र और भुगतान: ठेकेदार को समय-समय पर नियोक्ता द्वारा अंतरिम प्रमाण पत्र के तहत किशतों द्वारा भुगतान की शर्तों में नामित अनुमानित मूल्य के लिए बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले कार्यों के कारण भुगतान शर्तों में नामित अनुमानित मूल्य के लिए भुगतान की शर्तों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा, हालांकि, परिशिष्ट में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत को "कुल प्रतिधारण धन" के रूप में बनाए रखने के अधीन, जिसके बाद किशतें होंगी बाद में कार्य के पूर्ण मूल्य तक हो और इमारत में इस

प्रकार निष्पादित और तय किया गया हो। और जब कार्य वस्तुतः पूरा हो जाता है, तो ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान किया जाएगा, परिशिष्ट में नामित धन की राशि "वर्चुअल पूर्णता के बाद किस्त" उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक हिस्सा होने के नाते। और ठेकेदार अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जिसे परिशिष्ट में 'दोष देयता अवधि' के रूप में संदर्भित किया गया है, आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया होगा और सभी दोषों को सही इरादे और अर्थ के अनुसार अच्छा किया जाएगा, जो भी अंतिम होगा हमेशा या उनके पूरा होने के बाद ठेकेदार को खंड 21 और 36 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और न ही ठेकेदार को कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी, या धोखाधड़ी के मामलों में या प्रमाण पत्र में निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में ठेकेदार को राहत नहीं मिलेगी।

नियोक्ता के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं।

33. विलंबित भुगतान: नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में 'प्रमाण पत्र का सम्मान करने की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में ब्याज ले जाएगा, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा भुगतान तक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था। यह खंड चालान जमा करने के बाद ही लागू होता है और जैसा कि निविदा में उल्लिखित सभी प्रकार से एमबी पूर्ण होता है

खंड 2 (ए, बी), 4,5, 14, 20 (ए, बी, सी, डी और एफ) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश प्रमाण पत्र (जो मामले यहां अपवाद मामलों के रूप में संदर्भित हैं) अंतिम और निर्णायक और इसके पक्षों पर बाध्यकारी होंगे और अपील के बिना होंगे। कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, खंड के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा 35 सभी मामलों में उसी तरह (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित).

35.मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा: किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो संविदा से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यो को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यो की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे संविदा के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि इसके खंड 33 में कहा गया है। लेकिन यदि या तो ठेकेदार किसी ऐसे मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपरोक्त के रूप में निर्णय लिया गया है, किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर, ठेकेदार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि विवाद में मामलों पर मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनमें से ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के

रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, अपवाद के मामलों के संबंध में छोड़कर, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा.

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना या अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा कि मामला पार्टियों की सहमति से हो सकता है) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से. यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां आपसी रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार देगा.

इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी और पार्टी के बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा.

इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा. यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार

36.नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित कार्यों की तकनीकी जांच और ठेकेदार के अंतिम बिल की जांच करने का अधिकार होगा। यदि अन्यथा इस परीक्षा के परिणामस्वरूप किसी भी राशि को अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाया जाता है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

नियोक्ता कामगार को भुगतान किए गए मुआवजे को कवर करने का हकदार है

37. यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर, या किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा। और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों

के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि से घटाकर वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा, ठेकेदार के लिखित अनुरोध को छोड़कर और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूरी सुरक्षा देने के अलावा उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसके लिए नियोक्ता हो सकता है इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी बनना।

कार्यों का परित्याग

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

अधिशेष सामग्री की वापसी

इस संपर्क के किसी भी या सभी खंडों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से संविदा के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति और वापसी के बिना उनका निपटान नहीं करेगा यह नियोक्ता को, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन

के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी पैसे, लाभ या मुनाफे के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप या जो सामान्य पाठ्यक्रम में इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप हुआ होगा।

ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

42. लैंगिक उत्पीड़न खंड

क) ठेकेदार " महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी और ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी।

ख) बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

ग) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित होती है।

घ) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ई) ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

43. खंड 41 और 42 एएमसी के दौरान भी समझौते का हिस्सा होंगे।

अप्रत्याशित घटना:

44. यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से परे किसी भी घटना के कारण इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है (जैसे कि ईश्वर के कार्य, युद्ध जैसी स्थितियां, दंगे, श्रम हड़ताल, सरकारी कार्य, भूकंप, चक्रवात, आंधी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, आदि), तो उस पक्ष को इस समझौते के तहत चूक नहीं माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष इस

समझौते के तहत प्रदर्शन को जारी रखने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण गैर-प्रदर्शन की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो जिस पार्टी को प्रदर्शन करने की क्षमता इतनी प्रभावित नहीं हुई है, वह लिखित सूचना देकर, इस करार को समाप्त कर सकता है।

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और ये मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

स्थान

दिनांक

मुहर और ठेकेदार के हस्ताक्षर

खंड VI

वाणिज्यिक चेक-लिस्ट

| क्र.सं | विवरण | बैंक की शर्तें | निविदाकर्ता को स्वीकार्य है या नहीं (कृपया हाँ या नहीं इंगित करें) |
|--------|--------|--------------------------------------|--|
| 1. | वैधता | भाग I. खोलने की तारीख से 90 दिन। | |
| 3. | कीमतें | संविदा की पूरी अवधि के लिए एक रहेगा। | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 4. | पूरा होने की अवधि | कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14 वें दिन से 60 दिन। | |
| 5. | कार्य पूरा होने में विलंब के लिए परिसमापन क्षति | प्रति सप्ताह संविदा मूल्य का 0.25% लेकिन संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन। | |
| 6 | दोष देयता अवधि | वास्तविक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 12 महीने। | |
| 7 | भुगतान की शर्तें | खंड 3.13 के अनुसार | |
| 8 | बीमा | खंड 3.15 के अनुसार | |
| 9 | प्रदर्शन बैंक गारंटी | खंड 3.12.3 के अनुसार | |
| 10 | प्रतिधारण धन | खंड 3.12.4 के अनुसार | |
| 11 | साइट का दौरा | विक्रेता अपनी दरों का उल्लेख करने से पहले साइट का दौरा करेगा। मूल्य बोली खोलने के बाद कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। | |

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

खंड VII

तकनीकी विनिर्देश/बैंक की आवश्यकताएं

ठेकेदार इस संविदा के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश के संबंध में" कहा जाता है:

डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की विविधताएं या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।

ड्राइंग में या मात्रा और/या ड्राइंग और/या विनिर्देशों की अनुसूची के बीच कोई विसंगति।

ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और इसलिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।

ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादन।

उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।

कवर किए गए किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।

निष्पादन के दौरान देखे जाने वाले किसी भी दोष में संशोधन करना और उसे ठीक करना।

स्थानीय बिजली बोर्ड से शटडाउन की अनुमति, यदि कोई आवश्यक हो।

काम की देखभाल के लिए एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति करें। मोबाइल नंबर की सूचना संपदा विभाग को दी जाएगी।

| | |
|--|---|
| | <p>साइन बोर्ड "मेन एट वर्क" साइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित होता है।</p> <p>ठेकेदार ऐसे बैंक के इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक के इंजीनियर द्वारा कार्यों पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, ऐसे संविदा के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माने जाएंगे।</p> |
| | फ्लैटों का अनुमानित कारपेट एरिया 500 वर्ग फुट है |
| | फर्म को अपनी लागत पर कार्य निष्पादन के दौरान हुई सभी क्षतिओं, यदि कोई हो, को ठीक करना चाहिए |
| | मौजूदा फ्लैटों की दीवारें ईंट की चिनाई की हैं। जहां भी संभव हो, सभी तारों को छुपाकर बिछाया जाना है। इसलिए ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह तदनुसार अपनी दरों का उल्लेख करे। |
| | भवन की स्थिरता को बिगाड़ने के लिए फ्लैट के किसी भी स्लैब में कोई कटिंग नहीं की जानी चाहिए |
| | जीआई/एमएस/पीवीसी नाली या छुपे हुए स्विच बॉक्स बिछाने के लिए दीवार में पीछा करते समय सीपीडब्ल्यूडी के आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। दीवार को हुए किसी भी बड़े नुकसान को बैंक के इंजीनियर को दिखाया जाएगा और बैंक के इंजीनियर के परामर्श से अपनी लागत पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। |
| | कुल काम पूरा होने के बाद मलबे को एक बार में हटाने के बजाय समय-समय पर हटाया जाना चाहिए, ताकि मलबे के किसी भी संचय और निवासियों को असुविधा से बचाया जा सके। |

| | |
|--|---|
| | परीक्षण- संपूर्ण स्थापना का परीक्षण इसके लिए किया जाएगा: ए) इन्सुलेशन प्रतिरोध, बी) पृथ्वी निरंतरता सी) एकल ध्रुव स्विच की ध्रुवीयता |
| | बिजली के प्रतिष्ठानों, वायरिंग और बिजली के गैजेट्स जैसे गीजर, पंखे, निकास, प्रकाश फिटिंग आदि को दोषपूर्ण सामग्री और कारीगरी के खिलाफ बारह महीने की अवधि के लिए गारंटी दी जाएगी, जिसकी गारंटी मालिक द्वारा इंस्टॉलेशन को अपने हाथ में लेने की तारीख से शुरू होगी और गारंटी की अवधि के दौरान सामग्री या कारीगरी में कोई भी दोष पाए जाने पर ठेकेदार द्वारा मालिक को मुफ्त में ठीक किया जाएगा या प्रतिस्थापित किया जाएगा। |

विद्युत कार्यों के लिए तकनीकी विनिर्देश

पूरा कार्य आज तक अद्यतन किए गए नियमों और प्रासंगिक आईएस के अनुसार किया जाएगा। (आईएस: विद्युत वायरिंग प्रतिष्ठानों के लिए 732 अभ्यास संहिता (सिस्टम वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक नहीं) (संशोधित)।

उपयोग किए जाने वाले सभी घटकों/सामग्रियों पर जहां भी उपलब्ध हो, आईएसआई चिह्न होगा।

विद्युत बिजली आपूर्ति तारों पीवीसी अछूता रंग कोडित मानक तांबा कंडक्टर 1100 वोल्ट ग्रेड (एफआरएलएस) आईएसआई चिह्नित और अनुमोदित बनाने के लिए किया जाएगा। (चरण के लिए लाल/पीला/नीला, तटस्थ के लिए काला, पृथ्वी के लिए हरा)।

तारों को छुपा कर बिछाते समय अनुमोदित मेक और उपयुक्त आकार के मध्यम शुल्क/हैवी इयूटी एफआरएलएस पीवीसी पाइपों का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रत्येक वायरिंग सर्किट को उपयुक्त प्रकार के लग्स का उपयोग करके डीबी में समाप्त किया जाना चाहिए, सीधे नहीं।

उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक आउटगोइंग एमसीबी 10 केए की ब्रेकिंग क्षमता के साथ सी वक्र का होना चाहिए।

वायरिंग करते समय न्यूट्रल और अर्थ के लिए अलग-अलग तार बिछाए जाने चाहिए।

गीजर प्वाइंट सर्किट और एसी प्वाइंट सर्किट को बिना किसी लूपिंग के वितरण बोर्ड से सीधे बिंदु तक अलग-अलग रखा जाना चाहिए। सभी पावर प्वाइंट स्विच सांकेतिक प्रकार के होने चाहिए

बाथरूम में गीजर पॉइंट के लिए स्विच वॉशरूम लॉबी के स्विचबोर्ड में प्रदान किया जाना है।

सभी सर्किटों को सभी एमसीबी पर समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जैसा कि काम की तकनीकी विशिष्टताओं में विस्तृत है।

छुपे हुए बक्से को जंक्शन के अंकन के साथ प्लास्टर स्तर से 5 मिमी ऊपर प्रदान किया जाएगा ताकि प्लास्टर करने के बाद प्लेटों को ठीक से फिट किया जा सके।

प्रकाश सर्किट प्रकाश/पंखे के बिंदुओं को खिलाएगा। प्रत्येक सर्किट में 800 वाट से अधिक कनेक्टेड लोड या 10 अंक से अधिक, जो भी कम हो, नहीं होना चाहिए।

आवासीय भवन में प्रत्येक पावर सर्किट निम्नलिखित आउटलेट को फीड कर सकता है:

2 से अधिक नहीं 16 ए आउटलेट

3 नंबर 6 ए आउटलेट से अधिक नहीं

1 नंबर 16 ए और 2 नंबर 6 ए आउटलेट से अधिक नहीं

फर्श से बिंदुओं की अनुमानित ऊंचाई है:

मुख्य स्विच बोर्ड- फर्श से 4.5 फीट

कमरे में टीवी पॉइंट या अन्य स्विच सॉकेट -फर्श के स्तर से 2.5 फीट ऊपर

किचन पॉइंट- स्लैब से 1.5 फीट ऊपर

एसी पॉइंट - 5 फीट

इन्वर्टर वायरिंग अन्य प्रकाश और बिजली बिंदुओं में चरण के लिए उपयोग के अलावा
अलग-अलग रंग कोडिंग के माध्यम से की जाएगी।

डीजी सेट के चेंजओवर के माध्यम से संचालित प्रकाश बिंदु के लिए स्विच बोर्ड अलग से
प्रदान किया जाएगा।

| ए. स्टाफ कॉलोनी फ्लैट्स के लिए प्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन लेआउट (किदवई नगर) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--|--------|----------|----------|--------|-------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| कमरा | प्रकाश सर्किट | पावर सर्किट | प्रकाश बिंदु | 6 पीपी | 6+6 पीपी | 16 पी पी | एसी पी | स्विच बोर्ड | स्विच बोर्ड बिंदु पर | केबल टीवी बिंदु | टेली फोन बिंदु | इंटरनेट प्वाइंट |
| हॉल | 1 | 2 | 3 (एसबी 1- 1 टीएल + 1 डीएल + 1 एफ + 1 आर) (8 एम) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| शयनकक्ष | 1 | 2 | 3 (एसबी 2- 1 टीएल + 1 डीएल + 1 एफ + 1 आर) (8 एम) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| रसोई-घर | 1 | 3 | 3 (एसबी 3- 1 टीएल + 1 बी + 1 ई + 1 चिमनी स्विच) (8 एम) | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बाथरूम/शौचा लय | 1 | 1 | 4 (SB4- 2E+2B+ 1 गीजर स्विच) (6M) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वॉशरूम लॉबी | | 1 | 3 (एसबी 5- 1 टीएल + 1 बी + 1 एमएल) (6 एम) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बालकनी | 0 | 1 | 1 (एसबी 6- 1बी) (1एम) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हॉल में कॉल बेल प्वाइंट | 0 | 0 | 1 (1 एम) | एनए | | | | | | | | |
| कुल | 4 | 10 | 18 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |

बी-बल्ब; टीएल-ट्यूबलाइट (4 फीट/2 फीट); एफ-फैन; आर-रेगुलेटर

एसबी-स्विचबोर्ड; 6 + 6PP-6 ए 2 यूएस स्विच सॉकेट; 16 ए पीपी -16 ए 1 यूएस स्विच सॉकेट

एसीपी-एसी पावर प्वाइंट; ई-निकास; डीएल- सजावटी प्रकाश

17. सामग्री का अनुमोदित मेक :

| क्र.सं. | सामग्री का नाम | मेक | ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित |
|---------|--|---|---------------------------|
| 1 | मॉड्यूलर टाइप स्विच, सॉकेट, रेग्युलेटर, प्लेट, कंसील्ड मेटल बॉक्स आदि | लेग्रांड (माइलिक), ऐंकर (रोमा), एमके (रैपअराउंड), एसएसके (सिग्नेचर) | |
| 2 | पीवीसी वायर कॉपर कंडक्टर 1100 वोल्ट ग्रेड एफआरएलएस | फिनोलेक्स, पोलीकैब, आरआर काबेल, केईआई, ग्लास्टर | |
| 3 | टेलीफोन वायर, केबल टी.वी. वायर | डेल्टन, निटको, कॉमसॉप, पॉलीकैब, डी-लिक | |
| 4 | कैट6 केबल तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल एवं सहायक लैन प्वाइंट एक्सेसरी | डी-लिक, फिनोलेक्स, लेग्रांड या समकक्ष | |
| 5 | टी.वी. आउटलेट सॉकेट/ टेलीफोन सॉकेट | लेग्रांड (माइलिक), ऐंकर (रोमा), एमके (रैपअराउंड), एसएसके (सिग्नेचर) | |
| 6 | पीवीसी पाइप एवं केसिंग कैपिंग, सीलिंग रोज़, जंक्शन बॉक्स, टीज़, बैंड्स आदि | एकेजी, प्रेसिजन, मोदी, पीसीजी | |
| 7 | एमसीबी, आरसीसीबी, एमसीबी, डीबी आदि | लेग्रेंड, सीमेंस, हैवेल्स, हैगर, एलएंडटी, शनाइडर | |
| 8 | लग्स | डॉवेल्स/ कॉमेट/ ब्रैको | |
| 9 | लाइट फिटिंग्स | फिलिप्स/क्रॉम्पटन/जीई/ओरिएंट/सिस्का/विप्रो/ जैक्वार | |
| 10 | 1200 मिमी और 225 मिमी स्वीप सीलिंग फैन | क्रॉम्पटन/हैवेल्स/बजाज/ओरिएंट/उषा | |
| 11 | हटाए जाने वाले एलईडी बल्बों के साथ वॉल ब्रैकेट लाइट फिटिंग | फिलिप्स, जीई, विप्रो, क्रॉम्पटन, हैवेल्स, जैक्वार या बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य ब्रांड | |
| 12 | 400 मिमी हैवी ड्यूटी वॉल फैन | क्रॉम्पटन/हैवेल्स/बजाज/ओरिएंट | |

नोट: यदि सामग्री के मेक इंगित नहीं किया गया है, तो मेक का विकल्प बैंक के पास होगा। फर्म को सूचित किया जाता है कि वह अनुमोदित मेक की सूची की विभिन्न श्रृंखलाओं/मॉडलों में मूल्य के अंतर को ध्यान में रखते हुए दर उद्धृत करे। श्रृंखला/मॉडल/स्विचों की लागत में भिन्नता के कारण बाद में कोई मूल्य परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि कोई सामान, भाग, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, लेकिन कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, निविदाकर्ता के कार्य के दायरे के अंतर्गत आएंगी।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करती हूँ/ करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/ हमने उपर्युक्त विनिर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान

बोलीदाता का हस्ताक्षर

तारीख

खंड VIII – मात्राओं का अप्रयुक्त बिल

किदवाई नगर स्टाफ क्वार्टर (केएनएसक्यू), भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में 08 श्रेणी III फ्लैटों (च ब्लॉक) के लिए विद्युत नवीनीकरण कार्य हेतु ई-निविदा

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|--|------------------------|------|
| 1.0 | आंशिक रूप से ढके हुए/ सतही रूप से (जैसा भी मामला हो), में अपेक्षित ऐक्सेसरी, जैसे बेंड्स, टीज़, जंक्शन बक्से आदि के साथ उपयुक्त व्यास के हेवी इयूटी पीवीसी पाइप में 1100 वोल्ट ग्रेड इन्सुलेशन मल्टी-स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर पीवीसी एफआरएलएस इंसुलेटेड वायर (फेज़ के लिए नीला/पीला और न्यूट्रल के लिए काला), डीबी से संबंधित स्विचबोर्ड पीवीसी पाइप 3x2.5 वर्ग मिमी के साथ सर्किट वायरिंग सहित 3 X 1.5 वर्ग मिमी का उपयोग करके लाइट, सीलिंग फैन, एगजॉस्ट फैन, कॉल बेल पॉइंट की वायरिंग के लिए आपूर्ति, इन्स्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग तथा इसे उपयुक्त मोटाई के सीमेंट प्लास्टर 1: 3 को आस-पास के क्षेत्र के साथ मर्ज करते हुए ठीक करना। सतह को कुशल व्यक्तियों द्वारा एक चिकनी और मर्जिंग सतह प्रदान करने के लिए अच्छी फिनिशिंग दी जाए। इसकी कीमत के अंतर्गत, दीवार में छिपाए गए स्विच बॉक्स के संबंधित अनुमोदित मेक पर लगाए गए अपेक्षित | | |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--------|---|------|---|-----|---|---------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|---|----------|--|-----------------------|--|-----|---------|
| | आकार के माउंटिंग प्लेट पर फैक्ट्री में बनी गए जीआई मॉड्यूलर बॉक्स में मॉड्यूलर टाइप स्विच का प्रावधान और जंक्शन बॉक्स में प्लेट सीलिंग रोज/कनेक्टर/एंगल होल्डर का प्रावधान शामिल होंगे। उपरोक्त मदों की दर के लिए आवश्यक सर्किट वायरिंग में डीबी से स्विच बोर्ड तक (3X 2.5) वर्ग मिमी वर्ग मिमी कॉपर कंडक्टर पीवीसी एफआरएलएस इंसुलेटेड तार के साथ स्विच बोर्ड भी शामिल होंगे। अंतिम कनेक्शन भी फ्लेक्सिबल वायर (उपयुक्त रेटिंग के) आदि के साथ किए जाएंगे। प्रत्येक सर्किट पर 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | नोट: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | छिपे हुए पाइप आदि के लिए वॉल चेजिंग/ कटिंग, कटिंग मशीन से ही किए जाएंगे। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्लास्टरिंग में क्रैक से बचने के लिए 50 मीमी से अधिक चौड़ाई की वाल चेजिंग/कटिंग की फिनिशिंग चिकेन मेश के साथ की जाएगी। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | <p>मद सं. 1 में वर्णित वायरिंग लेकिन एक लाइट/ एग्ज़ॉस्ट/ सीलिंग फैन प्वाइंट/ कॉलिंग बेल प्वाइंट के लिए मेटल बॉक्स में रखे गए एक 10 एम्पियर मॉड्यूलर प्रकार स्विच द्वारा नियंत्रित और मॉड्यूलर प्लेट, जो एक लाइट / एग्ज़ॉस्ट/ सीलिंग फैन प्वाइंट/ कॉलिंग बेल प्वाइंट के लिए पूर्ण है।</p> <table><tr><th>स्थान</th><th>प्वाइंट्स की संख्या</th></tr><tr><td>बालकनी</td><td>1</td></tr><tr><td>रसोई</td><td>3</td></tr><tr><td>हॉल</td><td>3</td></tr><tr><td>वॉशबेसिन लॉबी</td><td>3</td></tr><tr><td>शौचालय</td><td>2</td></tr><tr><td>बाथरूम</td><td>2</td></tr><tr><td>बेडरूम</td><td>3</td></tr><tr><td>कॉलिंग बेल</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">-- -----</td></tr><tr><td colspan="2">एक फ्लैट में कुल = 18</td></tr></table> | स्थान | प्वाइंट्स की संख्या | बालकनी | 1 | रसोई | 3 | हॉल | 3 | वॉशबेसिन लॉबी | 3 | शौचालय | 2 | बाथरूम | 2 | बेडरूम | 3 | कॉलिंग बेल | 1 | -- ----- | | एक फ्लैट में कुल = 18 | | 144 | संख्या. |
| स्थान | प्वाइंट्स की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बालकनी | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रसोई | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| हॉल | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वॉशबेसिन लॉबी | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शौचालय | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बाथरूम | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बेडरूम | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कॉलिंग बेल | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एक फ्लैट में कुल = 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल लाइट प्वाइंट=18 X 08 फ्लैट=144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|--|------------------------|---------|
| 1.2 | <p>डिंग-डॉन्ग कॉल बेल की कनेक्शन तथा सभी ऐक्सेसरी के साथ आपूर्ति, कमीशनिंग, इन्स्टालेशन और कमीशनिंग, कार्यस्थल की आवश्यकता तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल प्वाइंट = 1</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल लाइट प्वाइंट=1 X 08 फ्लैट=08 संख्या</p> | 08 | संख्या. |
| 1.3 | <p>कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार तथा बैंक के इंजीनियर के अनुदेशानुसार, हेवी ड्यूटी पीवीसी पाइप में 3x2.5 sq.mm एफआरएलएस पीवीसी इं फ्लेक्सिबल कॉपर वायर के साथ वायरिंग (निकटतम सर्किट बोर्ड से उपलब्ध या सीधे डीबी से) और मॉड्यूलर प्लेट तथा छिपे हुए मेटल बॉक्स पर फिक्स किए गए 2, 10 एंपीयर के स्वतंत्र मॉड्यूलर विच द्वारा नियंत्रित 5/6 एंपीयर के 3 पिन स्वतंत्र मॉड्यूलर सॉकेट के नंबर की आपूर्ति, फिक्सिंग, परीक्षण और कमीशनिंग।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>किचन 3</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेडरूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल = 5</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल लाइट प्वाइंट =5संख्या X08 फ्लैट= 40 संख्या</p> | 40 | संख्या. |
| 1.4 | <p>स्विच बोर्ड पर 6 एंपीयर प्वाइंट - जीआई बॉक्स में रखे गए 10 एंपीयर मॉड्यूलर स्विच से नियंत्रित 3 पिन 6 एंपीयर मॉड्यूलर सॉकेट तथा लाइट/ फैन स्विच बोर्ड में 3x2.5 वर्ग मीटर तार से वायर्ड उपयुक्त आकार का मॉड्यूलर प्लेट।</p> <p><u>स्थान</u> <u>प्वाइंट की संख्या</u></p> <p>किचन 1</p> <p>हॉल 1</p> <p>वाश एरिया 1</p> <p>बेडरूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 4</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट =4 X08 फ्लैट=32 संख्या</p> | 32 | संख्या. |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|--|------------------------|---------|
| 1.5 | <p>बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार 3x2.5 वर्ग मीमी पीवीसी फ्लेक्सिबल कॉपर एफआरएलएस वायर से वायर किए गए उपयुक्त आकार के मेटल बॉक्स (एसी बॉक्स) में 16 एंपीयर एसपी एमसीबी द्वारा नियंत्रित राउंड मेटल क्लैड सॉकेट और 3 पिन मेटल टॉप की एसआईटीसी (डीबी से सीधे प्राइमरी प्वाइंट)।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेडरूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या x 08 फ्लैट = 16 संख्या</p> | 16 | संख्या. |
| 1.6 | <p>जीआई बॉक्स में रखे गए 16 एंपीयर मॉड्यूलर इंडिकेटिव स्विच द्वारा नियंत्रित स्वतंत्र सेकेन्डरी 3 पिन 16 एंपीयर मॉड्यूलर सॉकेट की एसआईटीसी तथा 3x2.5 वर्ग मीटर पीवीसी फ्लेक्सिबल कॉपर एफआरएलएस वायर के द्वारा मद 1.5 में प्राइमरी प्वाइंट से उचित आकार के वायर किए गए प्राइमरी प्वाइंट</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेड रूम 1 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या x 08 फ्लैट = 16 संख्या</p> | 16 | संख्या. |
| 1.7 | <p>जीआई बॉक्स में रखे गए 16 एंपीयर मॉड्यूलर इंडिकेटिव स्विच द्वारा नियंत्रित स्वतंत्र सेकेन्डरी 3 पिन 16 एंपीयर मॉड्यूलर सॉकेट की एसआईटीसी तथा 3x2.5 वर्ग मीटर पीवीसी फ्लेक्सिबल कॉपर एफआरएलएस वायर के द्वारा मद 1.5 में प्राइमरी प्वाइंट से उचित आकार के वायर किए गए प्राइमरी प्वाइंट । (बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार) (डीबी से सीधे)</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>वाश एरिया 1</p> <p>बाथरूम 1</p> <p>किचन 3</p> | 40 | संख्या. |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|---|------------------------|---------|
| | <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 5</p> | | |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 5 संख्या X 08 फ्लैट = 40 संख्या | | |
| 1.8 | <p>फैन रेग्युलेटर:- वर्तमान स्विच बोर्ड पर सीलिंग फैन के लिए 100 वाट 2 मॉड्यूल, 0-4 स्टेप इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर की आपूर्ति और फिक्सिंग</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेड रूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 2</p> | 16 | संख्या. |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या X 08 फ्लैट = 16 संख्या | | |
| 1.9 | <p>हॉल और दो बेडरूम के लिए वायरिंग के साथ टीवी केबल प्वाइंट की आपूर्ति और वायरिंग दिया जाना, मद 1.0 में दर्शाए गए तरीके से पीवीसी हेवी ड्यूटी पाइप (लाइटिंग और पावर प्वाइंट से अलग) आरजी-6 केबल के द्वारा। इस दरों के अंतर्गत संबंधित मेक के साथ मॉड्यूलर टीवी सॉकेट प्रदान किया जाना, दीवार में छिपे हुए मेटल बॉक्स पर फिक्स किए गए अपेक्षित आकार के माउंटिंग प्लेट, दोनों ओर टीवी केबल का टर्मिनेशन। (प्रत्येक केबल संबंधित ब्लॉक की बालकनी तक बिछाया जाएगा तथा न्यूनतम 1 मीटर लंबाई की केबल को बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार रोल किया जाएगा और उचित तरीके से टैग किया जाएगा।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेड रूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 2</p> | 16 | संख्या. |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या X 08 फ्लैट = 16 संख्या | | |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|--|------------------------|---------|
| 1.10 | <p>फ्लैट के प्रवेश द्वार पर एक जंक्शन बॉक्स प्रदान करके टेलीफोन प्वाइंट के लिए वायरिंग की आपूर्ति और प्रदान करना, और दो जोड़ी 0.5 मिमी व्यास के साथ आने वाले इंटरकॉम केबल से कनेक्ट करना और 2 जोड़ी तांबे के कंडक्टर पीवीसी इंसुलेटेड पीवीसी शीथेड टेलीफोन केबल को उपयुक्त डीआईए पीवीसी हेवी ड्यूटी पाइप (टीवी केबल और पावर केबल नाली से अलग) में लगाना, जैसा मद 1.0 में वर्णित किया गया है। इस दर में फ्रंट प्लेट के साथ उपयुक्त जीआई बॉक्स पर शटर के साथ आरजे-11 जैक सिंगल प्रदान करना और दीवार में छिपे मेटल बक्से में अपेक्षित आवश्यक आकार की माउंटिंग प्लेट, दोनों ओर टेलीफोन तार का टर्मिनेशन शामिल होगा।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेडरूम 1</p> <p>एक फ्लैट में कुल टेलीफोन प्वाइंट = 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या X 08 फ्लैट = 16 संख्या</p> | 16 | संख्या. |
| 1.11 | <p>सिंगल फेज़ 18 वे एमसीबी डीबी डबल डोर फैक्ट्री फेब्रिकेटेड, आईपी 43 प्रोटेक्शन छिपे हुए रूप में लूप कनेक्शन, अर्थिंग के साथ संपूर्ण, जिसमें निर्देशानुसार निम्नलिखित एमसीबी शामिल होंगे, की आपूर्ति, इन्स्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग $I_k=10KA$</p> <p>40 ए डीपी सी-कर्व आरसीबीओ, 30 mA सेंसिटिविटी के साथ इनकमर के रूप में</p> <p>20ए एसपी सी कर्व एमसीबी – 2 संख्या.</p> <p>16ए एसपी सी कर्व एमसीबी – 4 संख्या.</p> <p>10ए एसपी सी कर्व एमसीबी – 4 संख्या.</p> <p>6 ए एसपी सी कर्व एमसीबी – 4 संख्या.</p> <p>(जहां भी आवश्यक हो, ब्लैंक प्लेट दिए जाएं ताकि गैप से बचा जा सके।)</p> <p>स्थान डीबी की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल = 1</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 1 संख्या X 08 फ्लैट = 08 संख्या</p> | 08 | संख्या. |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|---|------------------------|---------|
| 1.12 | <p>इंटरनेट कनेक्टिविटी (वाइ-फाइ)- निविदा के विनिर्देश के अनुसार सभी अन्य एक्सेसरी और सभी प्रकार से संपूर्ण RJ45 सॉकेट पिगटेल या आरजी45 कनेक्टर (आवश्यकता के अनुसार मेल/ फीमेल) के साथ टर्मिनेशन सहित उचित प्रकार से छिपे हुए जीआई सैडल एवं स्पेसर के साथ एचएमएस पीवीसी पाइप में 2 कोर सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल की एसआईटीसी। इस दर के अंतर्गत, ब्रिक/ आरसीसी दीवार, आरसीसी सीलिंग/ फॉल्स सीलिंग आदि में अपेक्षित छेद करना तथा निविदा के विनिर्देशों के अनुसार उन्हें ठीक करना शामिल है।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 1</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 1 संख्या X 08 फ्लैट = 08 संख्या</p> | 08 | संख्या. |
| 1.13 | <p>हेवी ड्यूटी पीवीसी पाइप में 3x2.5 sq.mm एफआरएलएस पीवीसी इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल कॉपर वायर के साथ वायरिंग (निकटतम सर्किट बोर्ड से उपलब्ध या सीधे डीबी से) और मॉड्यूलर प्लेट तथा छिपे हुए मेटल बॉक्स पर फिक्स किए गए 2, 6 एंपीयर के स्वतंत्र मॉड्यूलर विच द्वारा नियंत्रित 2, 6 एंपीयर के 3 पिन स्वतंत्र मॉड्यूलर सॉकेट के नंबर की आपूर्ति, फिक्सिंग, परीक्षण और कमीशनिंग।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>बालकनी 1</p> <p>किचन 1</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेडरूम 1</p> <p>वाशरूम लॉबी 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 5</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 5 संख्या X 08 फ्लैट = 40 संख्या</p> | 40 | संख्या. |
| 2 | फिक्सचर का इंस्टालेशन | 16 | संख्या. |
| 2.1 | <p>बैंक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित आवश्यक कॉपर कंडक्टर फ्लेक्सिबल तार के साथ आवश्यक हार्डवेयर का उपयोग करके 9 वाट एलईडी बल्ब (प्रतिस्थापन) के साथ फैंसी / ब्रैकेट फिटिंग की आपूर्ति, असेंबली, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। (खरीद से पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा सैंपल अनुमोदित होना चाहिए) (विप्रो बीयूहोम BW06 सिंगल वॉल लाइट, बी22 बल्ब बेस या समकक्ष के साथ)</p> | | |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|---|------------------------|---------|
| | <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेडरूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल = 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2संख्या X08फ्लैट=16 संख्या</p> | | |
| 2.2 | <p>1200 मीमी सफ़ेद/ आइवरी रंग के हाई स्पीड 3 ब्लेड सीलिंग फैन, अपेक्षित कॉपर कंडक्टर और डबल बॉल बीयरिंग फ्लेक्सिबल वायर एवं नए उच्च ग्रेड के पंखे के रॉड की आपूर्ति, असेंबली, परीक्षण और कमीशनिंग।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेडरूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल प्वाइंट = 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2संख्या X08फ्लैट=16संख्या</p> | 16 | संख्या. |
| 2.3 | <p>कॉपर वाइडिंग और बर्ड गार्ड स्क्रीन के साथ 225 मीमी हेवी ड्यूटी मेटल बॉडी एग्जॉस्ट फैन की आपूर्ति, असेंबलिंग, इंस्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग तथा स्क्रीव जैसे आवश्यक हार्डवेयर के सातह विंडो फ्रेम पर उपयुक्त व्यास के होल के साथ न्यूनतम 8मीमी प्लाईवुड देते हुए फिक्स करना</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>किचन 1</p> <p>शौचालय 1</p> <p>बाथ रूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल प्वाइंट = 3</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 3 संख्या X 08फ्लैट=24संख्या</p> | 24 | संख्या. |
| 2.4 | <p>फ्लेक्सिबल वायर के साथ कनेक्शन सहित 18 वाट 4 फीट एलईडी लाइट फिटिंग्स (कूल डे लाइट) की आपूर्ति, इंस्टालेशन और परीक्षण(4 संख्या x 08 फ्लैट= 32 संख्या)</p> | 32 | संख्या. |
| 2.5 | <p>फ्लेक्सिबल वायर के साथ कनेक्शन सहित 9 वाट, मिरर के लिए 2 फीट एलईडी लाइट फिटिंग्स (सीडीएल) की आपूर्ति, इंस्टालेशन (1 संख्याx08 फ्लैटs= 08 संख्या)</p> | 16 | संख्या. |
| 2.6 | <p>बल्ब होल्डर और बैक प्लेट के साथ 9 वाट एलईडी बल्ब की एसआईटीसी (5 संख्याx08 फ्लैटs=40 संख्या)</p> | 40 | संख्या. |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|--|------------------------|---------|
| 2.7 | कंपनी द्वारा बनाई गई प्लास्टिक बॉडी वॉल फैन 400 मिमी स्वीप, पीवीसी अच्छी गुणवत्ता वाले प्लास्टिक ब्लेड, कॉपर वाइंडिंग मोटर तथा 3 स्पीड रेगुलेटर के साथ इनबिल्ट की आपूर्ति और इन्स्टालेशन (1 संख्याx08 फ्लैटs =08 संख्या) | 08 | संख्या. |
| 3 | सबमेन वायरिंग: कॉपर केबल एफआरएलएस 1100 वी ग्रेड 4सी X 10 वर्गमी के साथ-साथ 12 एसडब्ल्यूजी बेयर जीआई वायर के 1 रन के साथ सभी सहायक उपकरण आंशिक रूप से दीवार/सतह पर और आंशिक रूप से छुपे हुए/फाल्स सीलिंग के साथ मीटर चार पोल एमसीबी से फ्लैट डीबी आदि तक सभी आवश्यक सामानों के साथ बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशानुसार पूर्ण किया जाए। 08 फ्लैट के लिए | 225 | मीटर |
| 4 | इन्वर्टर लाइट प्वाइंट - पीवीसी पाइप में व्यक्तिगत इन्वर्टर लाइट प्वाइंट के लिए वायरिंग, बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार, बालकनी पीएलजी प्वाइंट से सर्वेट बेडरूम और सर्वेट वाशरूम स्विच बोर्ड तक 1 *1.5 वर्ग मीमी (सफेद रंग/ग्रे) पीवीसी स्टैंडर्ड तांबे के तार के साथ छिपे हुए / सतही तरीके से सहायक उपकरण के साथ पीवीसी पाइप लगाना। | 08 | Set |
| 5 | केमिकल अर्थिंग/ अर्थिंग स्ट्रिप | 02 | संख्या |
| 5.1 | अर्थिंग: कंपाउंडिंग / केमिकल अर्थ इलेक्ट्रोड कॉपर कोटेड न्यूनतम व्यास 80 मिमी (मध्यम वर्ग) लंबाई लगभग 4.5 मीटर कम से कम 10 फीट की गहराई पर एमएस कवर प्लेट (आईएस: 4043/1966 अब तक संशोधित) के साथ अर्थिंग चेंबर सहित और बैंकों के इंजीनियरों द्वारा निर्देशित रासायनिक अर्थिंग (आकार 80 मिमी x 3 मीटर लंबा) | | |
| 5.2 | अर्थिंग स्ट्रिप: जीआई तारों के कनेक्शन के लिए लिंक प्रदान करने के साथ अर्थिंग से मीटर पैनल तक कनेक्शन आदि के लिए सतह पर या अवकाश में 25 मिमी X 5 मिमी जीआई अर्थिंग स्ट्रिप प्रदान करना और फिक्स करना | 65 | मीटर |
| 6 | मौजूदा वायरिंग, बिजली के सामान और बिजली के उपकरणों जैसे लाइट फिक्स्चर, सीलिंग फैन, केबिन फैन, एग्जॉस्ट फैन, वाटर प्यूरीफायर आदि को सावधानीपूर्वक डिस्कनेक्ट करना और पुनः उपयोग के लिए उचित तरीके से इसे अपनी कस्टडी में रखना। सहायक उपकरणों/गैजेट्स में पाए जाने वाले किसी भी नुकसान या कमी को तुरंत बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए | 08 | संख्या |
| 7 | छूट- 08 फ्लैटों से हटाई गई पुरानी विद्युत सामग्री को हटाना और हटाना, मौजूदा वायरिंग सामग्री, लाइट फिटिंग, डीबी, आईसीडीपी स्विच, स्विच बोर्ड, ट्यूब लाइट, ब्रेकेट लाइट और सीलिंग फैन आदि (वाटर प्यूरीफायर को छोड़कर) निर्देशानुसार पूरा करें (ठेकेदार फ्लैट्स में उपलब्ध वस्तुओं को देख सकता है और तदनुसार उद्धरण दे सकता है) | 08 | संख्या |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|---|------------------------|------|
| | प्रदान की जाने वाली छूट में सभी कर, श्रम, परिवहन आदि शामिल होंगे। | | |
| | कुल | | |

तिथि :

स्थान:

निविदाकार की हस्ताक्षर और मुहर

प्रतिभूति जमाराशि के लिए बैंक गारंटी के प्रोफार्मा का प्रारूप
(जारीकर्ता बैंक के नाम में खरीदे गए समुचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर में प्रस्तुत किया जाना है)

संख्या:

दिनांक:

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मॉल रोड, कानपुर – 208001

मैसर्स _____ (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा गया है) द्वारा दिनांक की उनकी ई-निविदा तथा दिनांक की आपकी संविदा में निर्धारित या संदर्भित परस्पर सहमति से तय परिवर्तनों के अधीन संविदा तथा इससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों की आपकी विशेष शर्तों के अनुसार उक्त निविदा के लिए आपके साथ संविदा के अनुसार तथा आपके द्वारा अपनी संविदा के संदर्भ में आपके लिए उनके द्वारा बैंक गारंटी के रूप में जमा किए जाने लायक रु. (रु.मात्र) की प्रतिभूति जमाराशि को स्वीकार करने के लिए सहमत होने के मद्देनजर, हम (बैंक का नाम) इस प्रकार वचन देते हैं और सहमत हैं:

1. उक्त संविदा में उल्लिखित नियम और शर्तों में ठेकेदार की ओर से किसी उल्लंघन के कारण हुई हानि या क्षति के बदले तथा उक्त निविदा के अधीन या अन्यथा संविदा के सही इरादे और अर्थ के अनुसरण में संबंधित किसी भी नियम और शर्त का पालन करने में किसी भी कार्य को पूरा किए जाने में ठेकेदार द्वारा कोई भी चूक किए जाने पर हम आपको समय-समय पर रु. (रु. मात्र) की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं तथा ठेकेदार की ओर से उक्त चूक के कारण अपनी हानि तथा/या क्षति, लागत, प्रभार या व्यय के कारण आपके द्वारा दावा की गई अधिकतम रु. (रु. मात्र) की राशि की मांग पर तत्काल आपको भुगतान करेंगे।
2. इसके प्रतिकूल कुछ भी होने के बावजूद, आपके द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय हमारे ऊपर बाध्यकर होगा कि ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई चूक की गई है तथा ऐसी

चूक के कारण आप उक्त राशि के हकदार हैं तथा हम आपको इस गारंटी के अधीन अपना दावा साबित करने के लिए कहने के हकदार नहीं हैं बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तत्काल भुगतान किया जाएगा।

3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और वैध बनी रहेगी जब तक कि उक्त संविदा की संबंधित गारंटी अवधि समाप्त हो जाने के बाद तथा उक्त संविदा के अधीन ठेकेदार अपने सभी दायित्वों का निर्वहन किए जाने और उक्त संविदा के अधीन कार्य के विधिवत पूरा हो जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और “नो डिमांड सर्टिफिकेट” प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार के आवेदन पर इसे आपके द्वारा जारी न कर दिया जाए। इसके बावजूद यह गारंटी के बाद लागू नहीं रहेगी और इस बात के बावजूद कि आपका दावा उक्त तारीख के बाद लागू होता है, उक्त तारीख से तीन (03) महीने तक, जो तारीख हमारे विरुद्ध लागू होगी, के भीतर उत्पन्न आपके दावे या दावों या लिखित रूप में हमसे मांगे गए या हमें सूचित किए गए दावों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. किसी भी कारण से यदि इस गारंटी का विस्तार आवश्यक हुआ तो हम आपके लिए आवश्यक अवधि तक इस गारंटी का विस्तार करने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. आपके पास इस गारंटी को प्रभावित किए बिना समय-समय पर उक्त संविदा के नियमों और शर्तों को बदलने के लिए या ठेकेदार के कार्यनिष्पादन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर किसी भी समय के लिए ठेकेदार के विरुद्ध अपने अधिकारों या शक्तियों और संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या रोकथाम करने का पूर्ण अधिकार होगा और हमें पूर्वनिर्धारित मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए गए समय के कारण या आपके स्तर पर किसी अन्य माफी, कार्य या चूक के कारण या ठेकेदार के साथ आपकी संलिप्तता के कारण या उक्त संविदा में किसी परिवर्तन या रूपांतरण के कारण या किसी कार्य, मामला या अन्य बातों के कारण जिससे जमानतदारों के लिए कानून के अधीन ऐसे प्रावधान हों जिससे हम अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हों, इसके अधीन उल्लिखित कोई भी बात हमारी उपर्युक्त देयता को रु. (रुपये) से अधिक नहीं बढ़ा सकती है।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से आपकी ओर से ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से किसी भी सिक्योरिटी को लेने या बदलने से या ठेकेदार के समापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु, जैसा भी मामला हो, प्रभावित नहीं हो सकती है,

7. इस गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, इसमें कार्य करने के लिए आप इस प्रकार हकदार होंगे जैसे कि आप ठेकेदार के विरुद्ध अपने सभी दावों के संबंध में मुख्य देनदार हैं, जो हमारे द्वारा उपर्युक्त के रूप में गारंटीकृत है और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से हमारे प्रतिभूति और अन्य ऐसे सभी अधिकारों, यदि कोई हो, को त्यागते हैं जो इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।
8. उपर्युक्त के रूप में हमारी देनदारी की अधिकतम सीमा के अधीन, इस गारंटी से ठेकेदार के खिलाफ समय-समय पर उक्त संविदा के संबंध में उत्पन्न होने आपके सभी दावों को तथा इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले संबंधित लिखित रूप में दावों को शामिल किया जाएगा।
9. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके अधीन कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे उपर्युक्त स्थानीय पते पर भेजी जा सकती है और यदि डाक द्वारा भेजी जाती है, तो इसे तब ही दिया हुआ माना जाएगा जब उसे डाक में डाला गया हो।
10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा (किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) इसके पहले दी गई और अब बिना रद्द की हुई अन्य गारंटी के अतिरिक्त है न कि उसे सीमित करने या घटाने वाली तथा इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी को निरस्त करना नहीं है और न ही यह उसे/उन्हें निरस्त करेगी या सीमित करेगी।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संघटन में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही आपके संघटन में किसी भी परिवर्तन या किसी एकीकरण या उसके द्वारा या उसके साथ समावेश से प्रभावित होगा तथा उक्त समाविष्ट या एकीकृत कंपनी या फर्म का लाभ सुनिश्चित करेगी और उपलब्ध रहेगी और उनके द्वारा लागू किए जाने योग्य होगी।
12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से किसी सहनशीलता, कार्य या चूक या निविदाकार के साथ बैंक की संलिप्तता से जमानतदार को मुक्त नहीं किया जाएगा तथा इस गारंटी के अधीन जमानतदार की देयता बैंक द्वारा इस संबंध में जमानतदार को दी गई सूचना पर समाप्त होगी।
13. यह गारंटी अपनी वैधता अवधि के दौरान अप्रतिसंहरणीय है और आपकी लिखित अनुमति के बिना इसे निरस्त नहीं किया जाएगा।

14. आगे हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि हम आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच विद्यमान या उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद के बावजूद लिखित रूप में आपके द्वारा मांग की गई राशि को बिना किसी आपत्ति के भुगतान करेंगे।
15. इसमें किसी बात के निहित होने के बावजूद गारंटी के तहत हमारी देयता रु. (रुपये मात्र) तक सीमित है। इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीनों के भीतर, जिसमें समय-विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, भुगतान के लिए हमारे पास कोई लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है तो इस गारंटी के अधीन आपके सभी दावे समाप्त हो जाएंगे और यह माना जाएगा कि हम इस गारंटी के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त हो गए हैं और इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि मूल गारंटी हमें वापस की गई है या नहीं।
16. हमारे पास हमारे बैंक के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के तहत इस गारंटी जारी करने की शक्ति है और बैंक द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने के लिए पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(उक्त बैंक के लिए और उसकी ओर से)

बैंक के लिए और उसकी ओर से (बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन दस्तावेजों द्वारा सभी लोगों को जानते हुए, हम
..... (निविदाकार का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद द्वारा
श्री / सुश्री (अटॉर्नी
धारक की शक्ति का नाम और आवासीय पता) को हमारी निविदा _____ (कार्य का नाम)
के लिए बोली के संबंध में सभी ऐसे कार्य, विलेख और अन्य बातों के लिए, जिनमें सभी दस्तावेजों
पर हस्ताक्षर और उन्हें प्रस्तुत करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को जानकारी उपलब्ध कराना/ जवाब
देना, सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करना और उक्त परियोजना
के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कार्य करने के लिए
अपने अटॉर्नी के रूप में गठित, नियुक्त और अधिकृत करते हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ
..... की हैसियत से कार्यरत हैं।

हम एतद द्वारा इस बात से सहमत हैं कि हम अपने उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के फलस्वरूप हमारे
अटॉर्नी द्वारा कानूनी ढंग से किए गए सभी कार्यों तथा विलेखों की पुष्टि करेंगे तथा हमारे उक्त
अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्यों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

नोट:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर उचित स्टॉप लगाया जाना चाहिए और नोटरी से हस्ताक्षर कराया जाना
चाहिए।

प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी अप्रतिसंहरणीय होगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर

नाम

निविदाकार की मुहर/ सील

(टिप्पणी : इस गारंटी पर राज्य में लागू स्टैंप शुल्क लगेगा जहाँ यह गारंटी निष्पादित की जा रही
है तथा उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी जिसके हस्ताक्षर एवं प्राधिकार सत्पापित किए
जाएंगे।)



भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग, कानपुर

किदवई नगर स्टाफ क्वार्टर (केएनएसक्यू), भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में 08 फ्लैट के विद्युतीय नवीनीकरण कार्य के लिए ई-निविदा

निविदाकार का नाम _____

पता _____

निविदा जमा करने की अंतिम तारीख : 02 जनवरी 2026 , दोपहर 03:00 बजे तक

निविदा का भाग I खोले जाने की तारीख : 02 जनवरी 2026 को 03:00 बजे

निविदा का भाग II खोले जाने की तारीख : 02 जनवरी 2026 को 03:15 बजे

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, कानपुर

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|---|------------------------|------|
| 1.0 | <p>आंशिक रूप से ढके हुए/ सतही रूप से (जैसा भी मामला हो), मैं अपेक्षित ऐक्सेसरी, जैसे बेंड्स, टीज़, जंक्शन बक्से आदि के साथ उपयुक्त व्यास के हेवी इयूटी पीवीसी पाइप में 1100 वोल्ट ग्रेड इन्सुलेशन मल्टी-स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर पीवीसी एफआरएलएस इंसुलेटेड वायर (फेज़ के लिए नीला/पीला और न्यूट्रल के लिए काला), डीबी से संबंधित स्विचबोर्ड पीवीसी पाइप 3x2.5 वर्ग मिमी के साथ सर्किट वायरिंग सहित 3 X 1.5 वर्ग मिमी का उपयोग करके लाइट, सीलिंग फैन, एगजॉस्ट फैन, कॉल बेल पॉइंट की वायरिंग के लिए आपूर्ति, इन्स्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग तथा इसे उपयुक्त मोटाई के सीमेंट प्लास्टर 1: 3 को आस-पास के क्षेत्र के साथ मर्ज करते हुए ठीक करना। सतह को कुशल व्यक्तियों द्वारा एक चिकनी और मर्जिंग सतह प्रदान करने के लिए अच्छी फिनिशिंग दी जाए। इसकी कीमत के अंतर्गत, दीवार में छिपाए गए स्विच बॉक्स के संबंधित अनुमोदित मेक पर लगाए गए अपेक्षित आकार के माउंटिंग प्लेट पर फैक्ट्री में बनी गए जीआई मॉड्यूलर बॉक्स में मॉड्यूलर टाइप स्विच का प्रावधान और जंक्शन बॉक्स में प्लेट सीलिंग रोज/कनेक्टर/एंगल होल्डर का प्रावधान शामिल होंगे। उपरोक्त मदों की दर के लिए आवश्यक सर्किट वायरिंग में डीबी से स्विच बोर्ड तक (3X 2.5) वर्ग मिमी वर्ग मिमी कॉपर कंडक्टर पीवीसी एफआरएलएस इंसुलेटेड तार के साथ स्विच बोर्ड भी शामिल होंगे। अंतिम कनेक्शन भी फ्लेक्सिबल वायर (उपयुक्त रेटिंग के) आदि के साथ किए जाएंगे। प्रत्येक सर्किट पर 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए।</p> | | |
| | नोट: | | |
| | छिपे हुए पाइप आदि के लिए वॉल चेजिंग/ कटिंग, कटिंग मशीन से ही किए जाएंगे। | | |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|---------------------|--------|---------|------|---------|-----|---|---------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|---|-----|---------|
| | प्लास्टरिंग में क्रैक से बचने के लिए 50 मीमी से अधिक चौड़ाई की वाल चेजिंग/कटिंग की फिनिशिंग चिकेन मेश के साथ की जाएगी। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | <p>मद सं. 1 में वर्णित वायरिंग लेकिन एक लाइट/ एग्ज़ॉस्ट/ सीलिंग फैन प्वाइंट/ कॉलिंग बेल प्वाइंट के लिए मेटल बॉक्स में रखे गए एक 10 एम्पियर माँड्यूलर प्रकार स्विच द्वारा नियंत्रित और माँड्यूलर प्लेट, जो एक लाइट / एग्ज़ॉस्ट/ सीलिंग फैन प्वाइंट/ कॉलिंग बेल प्वाइंट के लिए पूर्ण है।</p> <table><thead><tr><th>स्थान</th><th>प्वाइंट्स की संख्या</th></tr></thead><tbody><tr><td>बालकनी</td><td>1</td></tr><tr><td>रसोई</td><td>3</td></tr><tr><td>हॉल</td><td>3</td></tr><tr><td>वॉशबेसिन लॉबी</td><td>3</td></tr><tr><td>शौचालय</td><td>2</td></tr><tr><td>बाथरूम</td><td>2</td></tr><tr><td>बेडरूम</td><td>3</td></tr><tr><td>कॉलिंग बेल</td><td>1</td></tr></tbody></table> <p>-- -----</p> <p>एक फ्लैट में कुल = 18</p> | स्थान | प्वाइंट्स की संख्या | बालकनी | 1 | रसोई | 3 | हॉल | 3 | वॉशबेसिन लॉबी | 3 | शौचालय | 2 | बाथरूम | 2 | बेडरूम | 3 | कॉलिंग बेल | 1 | 144 | संख्या. |
| स्थान | प्वाइंट्स की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बालकनी | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रसोई | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| हॉल | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वॉशबेसिन लॉबी | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शौचालय | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बाथरूम | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बेडरूम | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कॉलिंग बेल | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल लाइट प्वाइंट=18 X 08 फ्लैट=144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | <p>डिंग-डॉन्ग कॉल बेल की कनेक्शन तथा सभी ऐक्सेसरी के साथ आपूर्ति, कमीशनिंग, इन्स्टालेशन और कमीशनिंग, कार्यस्थल की आवश्यकता तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार</p> <table><thead><tr><th>स्थान</th><th>प्वाइंट्स की संख्या</th></tr></thead><tbody><tr><td>हॉल</td><td>1</td></tr></tbody></table> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल प्वाइंट = 1</p> | स्थान | प्वाइंट्स की संख्या | हॉल | 1 | 08 | संख्या. | | | | | | | | | | | | | | |
| स्थान | प्वाइंट्स की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| हॉल | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल लाइट प्वाइंट=1 X 08 फ्लैट=08 संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | <p>कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार तथा बैंक के इंजीनियर के अनुदेशानुसार, हेवी ड्यूटी पीवीसी पाइप में 3x2.5 sq.mm एफआरएलएस पीवीसी इं फ्लेक्सिबल कॉपर वायर के साथ वायरिंग (निकटतम सर्किट बोर्ड से उपलब्ध या सीधे डीबी से) और माँड्यूलर प्लेट तथा छिपे हुए मेटल बॉक्स पर फिक्स किए गए 2, 10 एंपीयर के स्वतंत्र माँड्यूलर विच द्वारा नियंत्रित 5/6 एंपीयर के 3 पिन स्वतंत्र माँड्यूलर सॉकेट के नंबर की आपूर्ति, फिक्सिंग, परीक्षण और कमीशनिंग।</p> <table><thead><tr><th>स्थान</th><th>प्वाइंट्स की संख्या</th></tr></thead><tbody></tbody></table> | स्थान | प्वाइंट्स की संख्या | 40 | संख्या. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्थान | प्वाइंट्स की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|---|------------------------|---------|
| | किचन 3 हॉल 1 बेडरूम 1 ----- एक फ्लैट में कुल = 5 | | |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल लाइट प्वाइंट = 5 संख्या X 08 फ्लैट = 40 संख्या | | |
| 1.4 | स्विच बोर्ड पर 6 एंपीयर प्वाइंट - जीआई बॉक्स में रखे गए 10 एंपीयर मॉड्यूलर स्विच से नियंत्रित 3 पिन 6 एंपीयर मॉड्यूलर सॉकेट तथा लाइट/ फैन स्विच बोर्ड में 3x2.5 वर्ग मीटर तार से वायर्ड उपयुक्त आकार का मॉड्यूलर प्लेट। <u>स्थान</u> <u>प्वाइंट की संख्या</u> किचन 1 हॉल 1 वाश एरिया 1 बेडरूम 1 ----- एक फ्लैट में कुल = 4 | 32 | संख्या. |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 4 X 08 फ्लैट = 32 संख्या | | |
| 1.5 | बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार 3x2.5 वर्ग मीमी पीवीसी फ्लेक्सिबल कॉपर एफआरएलएस वायर से वायर किए गए उपयुक्त आकार के मेटल बॉक्स (एसी बॉक्स) में 16 एंपीयर एसपी एमसीबी द्वारा नियंत्रित राउंड मेटल क्लैड सॉकेट और 3 पिन मेटल टॉप की एसआईटीसी (डीबी से सीधे प्राइमरी प्वाइंट)। <u>स्थान</u> <u>प्वाइंट्स की संख्या</u> हॉल 1 बेडरूम 1 ----- एक फ्लैट में कुल = 2 | 16 | संख्या. |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या x 08 फ्लैट = 16 संख्या | | |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|--|------------------------|---------|
| 1.6 | <p>जीआई बॉक्स में रखे गए 16 एंपीयर मॉड्यूलर इंडिकेटिव स्विच द्वारा नियंत्रित स्वतंत्र सेकेन्डरी 3 पिन 16 एंपीयर मॉड्यूलर सॉकेट की एसआईटीसी तथा 3x2.5 वर्ग मीटर पीवीसी फ्लेक्सिबल कॉपर एफआरएलएस वायर के द्वारा मद 1.5 में प्राइमरी प्वाइंट से उचित आकार के वायर किए गए प्राइमरी प्वाइंट</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेड रूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या x 08 फ्लैट = 16 संख्या</p> | 16 | संख्या. |
| 1.7 | <p>जीआई बॉक्स में रखे गए 16 एंपीयर मॉड्यूलर इंडिकेटिव स्विच द्वारा नियंत्रित स्वतंत्र सेकेन्डरी 3 पिन 16 एंपीयर मॉड्यूलर सॉकेट की एसआईटीसी तथा 3x2.5 वर्ग मीटर पीवीसी फ्लेक्सिबल कॉपर एफआरएलएस वायर के द्वारा मद 1.5 में प्राइमरी प्वाइंट से उचित आकार के वायर किए गए प्राइमरी प्वाइंट । (बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार) (डीबी से सीधे)</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>वाश एरिया 1</p> <p>बाथरूम 1</p> <p>किचन 3</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 5</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 5 संख्या X 08 फ्लैट = 40 संख्या</p> | 40 | संख्या. |
| 1.8 | <p>फैन रेग्युलेटर:- वर्तमान स्विच बोर्ड पर सीलिंग फैन के लिए 100 वाट 2 मॉड्यूल, 0-4 स्टेप इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर की आपूर्ति और फिक्सिंग</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेड रूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या X 08 फ्लैट = 16 संख्या</p> | 16 | संख्या. |
| 1.9 | <p>हॉल और दो बेडरूम के लिए वायरिंग के साथ टीवी केबल प्वाइंट की आपूर्ति और वायरिंग दिया जाना, मद 1.0 में दर्शाए गए तरीके से पीवीसी</p> | 16 | संख्या. |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|--|------------------------|---------|
| | <p>हेवी इयूटी पाइप (लाइटिंग और पावर प्वाइंट से अलग) आरजी-6 केबल के द्वारा। इस दरों के अंतर्गत संबंधित मेक के साथ मॉड्यूलर टीवी सॉकेट प्रदान किया जाना, दीवार में छिपे हुए मेटल बॉक्स पर फिक्स किए गए अपेक्षित आकार के माउंटिंग प्लेट, दोनों ओर टीवी केबल का टर्मिनेशन। (प्रत्येक केबल संबंधित ब्लॉक की बालकनी तक बिछाया जाएगा तथा न्यूनतम 1 मीटर लंबाई की केबल को बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार रोल किया जाएगा और उचित तरीके से टैग किया जाएगा।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेड रूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल= 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या X 08 फ्लैट = 16 संख्या</p> | | |
| 1.10 | <p>फ्लैट के प्रवेश द्वार पर एक जंक्शन बॉक्स प्रदान करके टेलीफोन प्वाइंट के लिए वायरिंग की आपूर्ति और प्रदान करना, और दो जोड़ी 0.5 मिमी व्यास के साथ आने वाले इंटरकॉम केबल से कनेक्ट करना और 2 जोड़ी तांबे के कंडक्टर पीवीसी इंसुलेटेड पीवीसी शीथेड टेलीफोन केबल को उपयुक्त डीआईए पीवीसी हैवी इयूटी पाइप (टीवी केबल और पावर केबल नाली से अलग) में लगाना, जैसा मद 1.0 में वर्णित किया गया है। इस दर में फ्रंट प्लेट के साथ उपयुक्त जीआई बॉक्स पर शटर के साथ आरजे-11 जैक सिंगल प्रदान करना और दीवार में छिपे मेटल बक्से में अपेक्षित आवश्यक आकार की माउंटिंग प्लेट, दोनों ओर टेलीफोन तार का टर्मिनेशन शामिल होगा।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>हॉल 1</p> <p>बेडरूम 1</p> <p>एक फ्लैट में कुल टेलीफोन प्वाइंट = 2</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2 संख्या X 08 फ्लैट = 16 संख्या</p> | 16 | संख्या. |
| 1.11 | <p>सिंगल फेज़ 18 वे एमसीबी डीबी डबल डोर फैक्ट्री फैब्रिकेटेड, आईपी 43 प्रोटेक्शन छिपे हुए रूप में लूप कनेक्शन, अर्थिंग के साथ संपूर्ण, जिसमें निर्देशानुसार निम्नलिखित एमसीबी शामिल होंगे, की आपूर्ति, इन्स्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग $I_k=10KA$</p> <p>40 ए डीपी सी-कर्व आरसीबीओ, 30 mA सेंसिटिविटी के साथ इनकमर के रूप में</p> | 08 | संख्या. |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|---|------------------------|---------|
| | <div> <div> हॉल1</div> <div>बेडरूम1</div> <div>वाशरूम लॉबी1</div> <div>-----</div> <div>एक फ्लैट में कुल= 5</div> </div> | | |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट =5संख्या X08फ्लैट=40संख्या | | |
| 2 | फिक्सचर का इंस्टालेशन | 16 | संख्या. |
| 2.1 | <p>बैंक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित आवश्यक कॉपर कंडक्टर फ्लेक्सिबल तार के साथ आवश्यक हार्डवेयर का उपयोग करके 9 वाट एलईडी बल्ब (प्रतिस्थापन) के साथ फैंसी / ब्रैकेट फिटिंग की आपूर्ति, असेंबली, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। (खरीद से पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा सैंपल अनुमोदित होना चाहिए) (विप्रो बीयूहोम BW06 सिंगल वॉल लाइट, बी22 बल्ब बेस या समकक्ष के साथ)</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <div> <div>हॉल1</div> <div>बेडरूम1</div> <div>-----</div> <div>एक फ्लैट में कुल= 2</div> </div> | | |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 2संख्या X08फ्लैट=16 संख्या | | |
| 2.2 | <p>1200 मीमी सफेद/ आइवरी रंग के हाई स्पीड 3 ब्लेड सीलिंग फैन, अपेक्षित कॉपर कंडक्टर और डबल बॉल बीयरिंग फ्लेक्सिबल वायर एवं नए उच्च ग्रेड के पंखे के रॉड की आपूर्ति, असेंबली, परीक्षण और कमीशनिंग।</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <div> <div>हॉल1</div> <div>बेडरूम1</div> <div>-----</div> <div>एक फ्लैट में कुल प्वाइंट = 2</div> </div> | 16 | संख्या. |
| | 08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट =2संख्या X08फ्लैट=16संख्या | | |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|--|------------------------|---------|
| 2.3 | <p>कॉपर वाइंडिंग और बर्ड गार्ड स्क्रीन के साथ 225 मीमी हेवी ड्यूटी मेटल बॉडी एग्जॉस्ट फैन की आपूर्ति, असेंबलिंग, इंस्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग तथा स्क्रीव जैसे आवश्यक हार्डवेयर के सातह विंडो फ्रेम पर उपयुक्त व्यास के होल के साथ न्यूनतम 8मीमी प्लाईवुड देते हुए फिक्स करना</p> <p>स्थान प्वाइंट्स की संख्या</p> <p>किचन 1</p> <p>शौचालय 1</p> <p>बाथ रूम 1</p> <p>-----</p> <p>एक फ्लैट में कुल प्वाइंट = 3</p> <p>08 फ्लैट के लिए कुल प्वाइंट = 3 संख्या X 08फ्लैट=24संख्या</p> | 24 | संख्या. |
| 2.4 | फ्लेक्सिबल वायर के साथ कनेक्शन सहित 18 वाट 4 फीट एलईडी लाइट फिटिंग्स (कूल डे लाइट) की आपूर्ति, इंस्टालेशन और परीक्षण(4 संख्या x 08 फ्लैट= 32 संख्या) | 32 | संख्या. |
| 2.5 | फ्लेक्सिबल वायर के साथ कनेक्शन सहित 9 वाट, मिरर के लिए 2 फीट एलईडी लाइट फिटिंग्स (सीडीएल) की आपूर्ति, इंस्टालेशन (1 संख्याx08 फ्लैटs= 08 संख्या) | 16 | संख्या. |
| 2.6 | बल्ब होल्डर और बैक प्लेट के साथ 9 वाट एलईडी बल्ब की एसआईटीसी (5 संख्याx08 फ्लैटs=40 संख्या) | 40 | संख्या. |
| 2.7 | कंपनी द्वारा बनाई गई प्लास्टिक बॉडी वॉल फैन 400 मिमी स्वीच, पीवीसी अच्छी गुणवत्ता वाले प्लास्टिक ब्लेड, कॉपर वाइंडिंग मोटर तथा 3 स्पीड रेगुलेटर के साथ इनबिल्ट की आपूर्ति और इंस्टालेशन (1 संख्याx08 फ्लैटs =08 संख्या) | 08 | संख्या. |
| 3 | सबमेन वायरिंग: कॉपर केबल एफआरएलएस 1100 वी ग्रेड 4सी X 10 वर्गमी के साथ-साथ 12 एसडब्ल्यूजी बेयर जीआई वायर के 1 रन के साथ सभी सहायक उपकरण आंशिक रूप से दीवार/सतह पर और आंशिक रूप से छुपे हुए/फाल्स सीलिंग के साथ मीटर चार पोल एमसीबी से फ्लैट डीबी आदि तक सभी आवश्यक सामानों के साथ बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशानुसार पूर्ण किया जाए। 08 फ्लैट के लिए | 225 | मीटर |
| 4 | इन्वर्टर लाइट प्वाइंट - पीवीसी पाइप में व्यक्तिगत इन्वर्टर लाइट प्वाइंट के लिए वायरिंग, बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार, बालकनी पीएलजी प्वाइंट से सर्वेट बेडरूम और सर्वेट वाशरूम स्विच बोर्ड तक 1 | 08 | Set |

| क्र. सं. | विवरण | 08 फ्लैट के लिए मात्रा | इकाई |
|----------|---|------------------------|--------|
| | *1.5 वर्ग मीमी (सफेद रंग/ग्रे) पीवीसी स्ट्रैंडेड तांबे के तार के साथ छिपे हुए / सतही तरीके से सहायक उपकरण के साथ पीवीसी पाइप लगाना। | | |
| 5 | केमिकल अर्थिंग/ अर्थिंग स्ट्रिप | 02 | संख्या |
| 5.1 | अर्थिंग: कंपाउंडिंग / केमिकल अर्थ इलेक्ट्रोड कॉपर कोटेड न्यूनतम व्यास 80 मिमी (मध्यम वर्ग) लंबाई लगभग 4.5 मीटर कम से कम 10 फीट की गहराई पर एमएस कवर प्लेट (आईएस: 4043/1966 अब तक संशोधित) के साथ अर्थिंग चैंबर सहित और बैंकों के इंजीनियरों द्वारा निर्देशित रासायनिक अर्थिंग (आकार 80 मिमी x 3 मीटर लंबा) | | |
| 5.2 | अर्थिंग स्ट्रिप: जीआई तारों के कनेक्शन के लिए लिंक प्रदान करने के साथ अर्थिंग से मीटर पैनल तक कनेक्शन आदि के लिए सतह पर या अवकाश में 25 मिमी X 5 मिमी जीआई अर्थिंग स्ट्रिप प्रदान करना और फिक्स करना | 65 | मीटर |
| 6 | मौजूदा वायरिंग, बिजली के सामान और बिजली के उपकरणों जैसे लाइट फिक्स्चर, सीलिंग फैन, केबिन फैन, एग्जॉस्ट फैन, वाटर प्यूरीफायर आदि को सावधानीपूर्वक डिस्कनेक्ट करना और पुनः उपयोग के लिए उचित तरीके से इसे अपनी कस्टडी में रखना। सहायक उपकरणों/गैजेट्स में पाए जाने वाले किसी भी नुकसान या कमी को तुरंत बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए | 08 | संख्या |
| 7 | छूट- 08 फ्लैटों से हटाई गई पुरानी विद्युत सामग्री को हटाना और हटाना, मौजूदा वायरिंग सामग्री, लाइट फिटिंग, डीबी, आईसीडीपी स्विच, स्विच बोर्ड, ट्यूब लाइट, ब्रेकेट लाइट और सीलिंग फैन आदि (वाटर प्यूरीफायर को छोड़कर) निर्देशानुसार पूरा करें (ठेकेदार फ्लैट्स में उपलब्ध वस्तुओं को देख सकता है और तदनुसार उद्धरण दे सकता है) प्रदान की जाने वाली छूट में सभी कर, श्रम, परिवहन आदि शामिल होंगे। | 08 | संख्या |
| | कुल | | |

उक्त उद्धृत राशि/दरों में लोडिंग/अनलोडिंग प्रभार, पारगमन लागत, लागू सांविधिक कर आदि शामिल होंगे।

कार्य की कुल लागत में सबसे कम को सफल बोलीदाता/ठेकेदार/निविदाकार घोषित किया जाएगा।

तिथि :

स्थान :

निविदाकार की हस्ताक्षर और मुहर